Con. 3. 1.10.46
1000

अंक 1
संख्या 10

शनिवार
21 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 1

विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत..... 1

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस स्थगित रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य 21

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार..... 21

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 21 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

***सभापतिः** मैं आशा करता हूं कि एक दूसरी महिला मेम्बर का स्वागत करने में यह सभा मेरा साथ देगी। आप आज सुबह पहली बार इस सभा में पधारी हैं क्योंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये बाहर गई हुई थीं। मैं राजकुमारी अमृतकौर से प्रार्थना करता हूं कि वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें।

इसके बाद नीचे लिखे हुये मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

राजकुमारी अमृतकौर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल)

सर पदमपद सिंघानिया (संयुक्त प्रांत : जनरल)

विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी–

(1) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,

(2) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू,

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल,

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया,

(5) श्री शंकरराव देव, और

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री के.एम. मुंशी]

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह:

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के 16 मई सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिये सुरक्षित रखी गई हैं।

(ख) इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करे।

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद की तीन मेम्बरों से अधिक अतिरिक्त मेम्बर न रखे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।''

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में संशोधन पेश करने का क्या तरीका है। मैं समझता हूं कि संशोधनों को पेश करने के लिये हमें कम से कम कुछ घंटे अवश्य दिये जायेंगे।

***सभापति:** क्या यह संशोधन प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध हैं है या उसमें बताये हुये नामों के बारे में?

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में।

***सभापति:** हम इस पर विचार करेंगे।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सबसे अच्छा यह होगा कि यह तय किया जाये कि सवा बजे तक सब संशोधन पेश किये जायें और तब तक हम प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

***सभापति:** मेरा विचार है कि प्रस्तावक और समर्थक एक घंटे से कुछ ही अधिक समय लेंगे और इतने समय में आप संशोधन पेश कर सकेंगे।

***श्री के.एम. मुंशी:** यह बहुत कुछ एक रस्मी प्रस्ताव है और वह केवल इस कारण से कि मंत्रिमंडल ने अपने बयान में और लार्ड पैथिक लारेंस ने अपने भाषण में कहा है कि इस प्रस्ताव में बताये हुये उद्देश्यों के संबंध में रियासतों से बातचीत करने के लिये इस असेम्बली को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में श्रीमान् लार्ड पैथिक लारेंस ने हाल में जो कुछ बातें कहीं उन्हें मैं बताना चाहता हूं। लार्ड पैथिक लारेंस ने कहा है कि:

> ''यह तय करने के लिये कि विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधियों की जगहें किस तरह भरी जायें, देशी रियासतों की बनाई हुई कमेटी और विधान-परिषद् के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई कमेटी को एक-दूसरे से सलाह लेनी चाहिये। रियासतों ने अपनी कमेटी बना ली है और जब असेम्बली के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी अपनी कमेटी बना लेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है।''

इस सभा को तुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा कि यह बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिये। इसीलिये यह प्रस्ताव आज इस सभा के सामने रखा गया है। इस समय इस कमेटी में सिर्फ छः मेम्बर रखे गये हैं इस कमेटी को बहुत से नाजुक मामले तय करने हैं। इसलिये यह जरूरी है कि यह जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाई जाये। इसके अलावा जिन उद्देश्यों से यह कमेटी बनाई जा रही है उनका पूरी तौर से बयान में उल्लेख है। इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये।

***डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा** (बिहार : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***एक माननीय सदस्य:** क्या इस असेम्बली को यह बताया जायेगा कि इस बातचीत का क्या नतीजा हुआ है?

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं माननीय मेम्बरों के सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मंत्रिमंडल के बयान का सम्बन्ध है, उसमें रियासतों की एक निगोशियेटिंग कमेटी की व्यवस्था है। विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी उससे मिलेगी और यह तय करेगी कि असेम्बली में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो।

[श्री के.एम. मुंशी]

जहां तक मैं समझता हूं मंत्रिमंडल के बयान का यही अर्थ है। लेकिन इस मामले को अवश्य ही इस सभा के सामने रखा जायेगा और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इस सभा को इस पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर के नाम के बाद इस सभा के एक हरिजन मेम्बर का नाम रख दिया जाये।

मैं इस बात पर जोर सिर्फ इसलिये दे रहा हूं कि यह आवश्यक है कि इस कमेटी में, जो यह तय करने जा रही है कि रियासतों के लिये इस असेम्बली में जो जगह सुरक्षित रखी गई हैं उनका वितरण किस प्रकार हो और रियासतों के प्रतिनिधि किस तरीके से चुने जायें, एक हरिजन मेम्बर भी रखा जाये। रियासतों में हरिजन हैं और सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से उनकी दशा प्रान्तों के हरिजनों से खराब है। इसलिये मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं किस इस सभा का एक हरिजन मेम्बर कमेटी में रख दिया जाये।

***सभापति:** क्या आप किसी का नाम तजबीज कर सकते हैं?

***श्री पी.आर. ठाकुर:** यह सभा ही तय करेगी कि कौन रखा जाये।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान्, मैं दो संशोधन पेश करता हूं। पहला संशोधन मैं उस बात को साफ करने के लिये पेश कर रहा हूं जिसे प्रस्तावक महोदय ने साफ नहीं किया था और वह यह है कि कमेटी जिन नतीजों पर पहुंचेगी वह समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखे जायेंगे कि नहीं। संशोधन यह है:

(1) प्रस्ताव के आखिरी पैराग्राफ के बिलकुल पहले ये शब्द जोड़ दिये जायें:

> ''आवश्यक बातचीत और सलाह मशविरे के बाद यह कमेटी विभिन्न रियासतों के बीच जगहें वितरित करने के सम्बन्ध में और रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके के बारे में अपनी अंतिम सिफारिशें समर्थन के लिये असेम्बली के सामने रखेगी।''

(2) कमेटी के कामों की मद (ख) के अन्त में ये शब्द जोड़े जायें:

> ''लेकिन कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिये कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।''

मैं ये दो संशोधन पेश करता हूं। इन संशोधनों का उद्देश्य, विशेषतया पहले संशोधन का उद्देश्य, रियासतों के प्रतिनिधियों के प्रश्न को हल करना है क्योंकि आप जानते हैं कि वह अभी हल नहीं हुआ है। मैं यह जानता हूं कि जिस कमेटी की आपने तजबीज की है, उसके अधिकांश मेम्बर और इस सभा के अधिकांश मेम्बर यह समझते हैं कि इस सभा में रियासतों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, न कि रियासतों के स्वेच्छाचारी शासकों का। दुर्भाग्यवश सरकारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसकी कई प्रकार व्याख्या की गई है जैसा कि पिछले दिन, मैं समझता हूं, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था। हमें यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यह नहीं चाहते कि रियासतों के नरेश और शासक यह तय करें कि इस असेम्बली में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो, क्योंकि हमें भय है कि एक तो स्वेच्छाचारी शासक होने के कारण और दूसरे अंग्रेजी साम्राज्यशाही की कठपुतलियां होने से, जो कुछ भी थोड़ी-सी स्वतंत्रता की हम भारत के विधान में व्यवस्था करेंगे उसको भी वे कम करने का प्रयत्न करेंगे। यह रियासतों के जनसाधारण के प्रति न्याय नहीं होगा।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि इस समय बहुत-सी रियासतों में वहां के शासकों की तरफ से एक भयानक दमन चक्र चल रहा है। आपने देखा कि काश्मीर में किस प्रकार अधिकारियों ने श्रीमती अरुणा आसफअली की सभा में गड़बड़ पैदा कर दी और किस प्रकार सारी नेशनल कांफ्रेंस को दमन द्वारा असफल बनाने की चेष्टा की जा रही है; यद्यपि यह समझा जाता है कि वहां प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर या जिस तरह भी आप कहिए चुनाव हो रहा है। हमने यह भी सुना है कि हैदराबाद में पिछले चंद महीनों में, हैदराबाद रियासत की सेना और पुलिस ने, 7000 लोगों, स्त्री-पुरुष और बच्चों की हत्या कर डाली। हम यह कभी नहीं चाहते कि ये शासक यहां आयें, हमसे बातचीत करें और हमारे देश

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

का विधान बनाने में भाग लें। इसी कारण से श्रीमान्, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिए कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना है वे रियासतों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसे आखिर रियासतों के लोगों को ही तय करना है। इसलिए जो मेम्बर चुने गये हैं उनका विश्वास करते हुए और आगे की घटनाओं को ध्यान में रख कर और इसको भी ध्यान में रखकर कि रियासतों के शासकों का क्या रुख होगा और यह कि वहां के लोगों की क्या मांगें होंगी, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि जिन निर्णयों पर पहुंचा जाये वे समर्थन के लिए इस असेम्बली के सामने रखे जायें।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं?

***सभापति:** प्रस्ताव पेश हो चुका है और संशोधन भी पेश हो चुके हैं। अब इन सभी बातों पर सभा बहस कर सकती है।

प्रस्ताव और संशोधनों पर अब बहस की जा सकती है। जो कोई भी मेम्बर इस पर बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ें।

***श्री के. संतानम्** (मद्रास : जनरल): मैं एक दूसरा संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

''इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह'' शब्दों के बाद ''नीचे दी हुई बातों के बारे में सिफारिश करे'' शब्द जोड़ दिये जायें और (क) और (ख) में ''निश्चित करें'' शब्दों को निकाल दिया जाए।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस सभा की किसी भी कमेटी को किसी मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध एक सिद्धान्त से है और इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कमेटी के मेम्बरों का विश्वास नहीं करता। जिन मेम्बरों के बारे में प्रस्ताव किया गया है उन पर मेरा पूरा विश्वास

है। लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी कमेटी को अन्तिम अधिकार दिये जायें।

***सभापतिः** मेरे विचार में श्री लहिरी के संशोधन में आपके संशोधन का आशय आ गया है।

***श्री के. संतानमः** मैंने उसे आसान बना दिया है।

***सभापतिः** वह श्री लहिरी के संशोधन में आ गया है।

***श्री के. संतानमः** मेरा संशोधन पढ़ने में उससे अच्छा होगा। इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये कि इस सभा को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार है और चाहे हम जो भी कमेटी बनायें या जो भी कार्यवाही करें उसमें इस सिद्धान्त के अनुसार काम होना चाहिये। निःसंदेह मेरे संशोधन में वे आधारभूत बातें आ जाती हैं जिनको श्री लहिरी ने पेश किया है, लेकिन यदि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये तो यह नियम पढ़ने में पहले से अच्छा लगेगा।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, मैं उस संशोधन का विरोध करने के लिये उठा हूं जो मेरे मित्र श्री सोमनाथ लहिरी ने पेश किया है। संशोधन में जो भावना प्रकट की गई है उससे मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन श्री लहिरी एक बात भूल गये हैं। यह सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी है। यदि आप 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 के वाक्यखंड (2) को देखें तो उसमें कहा गया है कि:

> ''विचार यह है कि अन्तिम विधान-परिषद् में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और ब्रिटिश भारत में जिस आधार पर जनगणना की गई है उसको देखते हुये उनके प्रतिनिधि 93 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन वे किस तरीके से चुने जायें यह सलाह-मशविरे से तय होगा। शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक निगोशियेटिंग कमेटी करेगी।''

इसलिये चुनाव का तरीका सलाह-मशविरे से तय होना है और सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि एक सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनाई जाये। रियासतों ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है और हमें एक दूसरी सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनानी ही है। यह मुमकिन नहीं है कि यह सारी सभा प्रतिनिधियों

[श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त]

की संख्या और उनके चुनने के तरीके को तय करने के लिये निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करे। इसलिये यह जरूरी है कि सलाह-मशविरा करने वाली एक कमेटी बनाई जाये और इस कमेटी में बहुत थोड़े मेम्बर हों। यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये तो प्रस्ताव का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दो छोटी कमेटियों के बीच सलाह-मशविरा होना चाहिये जिनमें से एक हम बनायेंगे और दूसरी रियासतें बनायेंगी। इसलिये श्रीमान्, मेरे मित्र श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं, यद्यपि उन्होंने जो भावना प्रकट की है उससे मुझे पूरी सहानुभूति है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री के.एम. मुंशी द्वारा पेश किये हुये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका विरोध करता हूं।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): मैं अपने मित्र श्री लहिरी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस ले लें। मैं समझता हूं कि जाब्ते और नियमों की कमेटी ने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट की एक नकल उनको मिली होगी। उसमें यह बताया जा चुका है कि कमेटियां जो काम भी करेंगी वह किसी न किसी समय इस सभा के सामने रखा जायेगा और सभा को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वह उनकी सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। ऐसी सूरत में श्री लहिरी की बात पूरी हो जाती है।

दलित जातियों के एक मेम्बर ने—मैं नहीं जानता की दलित जातियों और परिगणित जातियों में क्या अन्तर है—इसके लिये दलील पेश की है कि कमेटी में दलित जाति का एक मेम्बर होना चाहिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे उन नामों के विरोध में कुछ भी नहीं कहना है जिनका सुझाव इस प्रस्ताव को पेश करने वालों ने किया है। वे प्रतिष्ठित लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियासतों में काम किया है और वे रियासतों से परिचित हैं। मगर श्रीमान्, मैं विनयपूर्वक कहूंगा कि मेरे विचार में उन्हें पूर्वी रियासतों का बहुत ज्ञान नहीं है। भारतीय रियासतों के प्रजा-मंडल का सम्बन्ध साधारणतया उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य भारत व पश्चिमी भारत के एक भाग से रहा है। उनको उड़ीसा की रियासतों की एजेंसी या बंगाल और उत्तर-पूर्व की एजेंसियों से शायद ही कभी कोई काम पड़ा हो। यदि मैं अपनी तूती थोड़ी बहुत खुद ही बजाऊं तो मैं आशा करता हूं कि यह सभा मुझे

क्षमा करेगी। जब से मैं ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका से वापस लौटा हूं, मैं आदिवासियों के बीच में और आदिवासियों के क्षेत्रों में बहुत घूमा हूं और पिछले 9 वर्षों में मैंने 1,14,000 मील का सफर किया है। इससे मैं यह जान सका हूं कि आदिवासियों की जरूरतें क्या हैं और इस सभा से उनके लिये क्या करने की आशा की जाती है। भारतीय भारत में, राजस्थान में, नरेन्द्रों के भारत की 9 करोड़ की आबादी में, 1 करोड़ 70 लाख आदिवासी हैं, 1 करोड़ 70 लाख कबीले हैं। श्रीमान्, इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुये, निगोशियेटिंग कमेटी में एक आदिवासी होना चाहिये। मेरी राय में वह कमेटी की सहायता कर सकेगा। मैं कमेटी के काम में बाधा नहीं डाल रहा हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ने के लिये उसमें एक आदिवासी होना चाहिये। जब आप आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ेंगे तो आपको एक आदिवासी की जरूरत होगी और वह निगोशियेटिंग कमेटी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। श्रीमान्, मैं यह राय देता हूं कि इस प्रस्ताव के निर्माताओं और प्रस्तावक को कमेटी में एक आदिवासी शामिल कर लेना चाहिये और उसके मेम्बरों की संख्या सात कर देनी चाहिये।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं दलित जातियों और आदिवासियों के हितों के लिये यहां किसी मेम्बर से कम चिन्तित नहीं हूं। लेकिन आदिवासियों या दलित जातियों या ईसाइयों का अन्य किसी जाति के प्रतिनिधि के लिये जोर देना इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ही गलत तरीके से समझना है। नरेन्द्र एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं और यदि आप नरेन्द्र-मंडल के चांसलर के उस पत्र को देखें जो उन्होंने 19 जून सन् 1946 को वायसराय को लिखा, तो आप देखेंगे कि उसके पैराग्राफ 4 में वे लिखते हैं:

> ''श्रीमान्, आपके नियंत्रण के फलस्वरूप स्टैंडिंग कमेटी ने यह तय किया है कि एक निगोश्यिेटिंग कमेटी बनाई जाये जिसके मेम्बरों के नाम इस पत्र के साथ भेजी हुई सूची में दिये हुये हैं श्रीमान् की इच्छानुसार कमेटी ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया कि मेम्बरों की संख्या बहुत कम रखी जाये लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि यह संख्या इससे कम न हो सकेगी। मैं बड़ा आभारी हूंगा यदि मुझे शीघ्र ही सूचित किया जाये कि

[माननीय बी.जी. खेर]

इस कमेटी की कब तक और कहां बैठक होगी और इसी तरह की उस दूसरी कमेटी में कौन लोग होंगे जिसे कि विधान-परिषद् के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि बनायेंगे। इस सलाह-मशविरे का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में यह तजबीज है कि उस पर नरेन्द्रों की स्टैंडिंग कमेटी, मन्त्रियों की कमेटी और कांस्टीट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी विचार करेंगी और उनकी सिफारिशें नरेन्द्रों और रियासतों के प्रतिनिधियों के एक साधारण सम्मेलन के सामने रखी जायेंगी।''

अब अगर हम इस प्रस्ताव की शर्तों को देखें तो उसमें कहा गया है कि:

''यह कमेटी इसलिये बनाई जायेगी कि यह नरेन्द्र-मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से केवल इसलिये बातचीत करेगी कि वह इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करें, जो 93 से अधिक नहीं होंगी, और इसलिये कि वह इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करें।''

इस प्रकार श्रीमान्, अब हमें ब्रिटिश भारत की तरफ से ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने आजतक ब्रिटिश भारत के ही नहीं बल्कि भारतीय भारत के लोगों के हितों के सम्बन्ध में भी दिलचस्पी दिखाई है। हमारे बीच पं. जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जो रियासतों के प्रजामंडल के सभापति रहे हैं और डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, शंकरराव देव ऐसे लोग भी हैं एक संशोधन पेश करने वाले मेम्बर ने कहा है कि रियासतों में दलित जातियां हैं इसलिए इस कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि यह बात है तो रियासतों में सिख, देशी ईसाई और एंग्लो-इंडियन भी रहते हैं यह कमेटी केवल यह तय करने के लिये बनाई गई है कि इस सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाये। इस सीमित उद्देश्य के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को उठाना ठीक नहीं। प्रस्ताव के शब्दों से यह स्पष्ट है कि हमारी कमेटी निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी और प्रस्तावक ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उस बातचीत का जो नतीजा होगा उसे अन्तिम समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखा जायेगा। इसलिये मैं संशोधनों के पेश करने वालों से, जिनमें श्री संथानम् भी शामिल हैं, यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। कमेटी का कार्य-क्षेत्र

सीमित है। मेरी राय में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व इत्यादि से मुख्य उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनकी आबादी इतनी कम है कि उनके एक समूह का एक ही प्रतिनिधि हो सकता हैं। हम जानते हैं कि लगभग 650 रियासतें हैं और यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनके 650 प्रतिनिधि होंगे। इन सभी रियासतों के उचित प्रतिनिधित्व के लिये ही यह कमेटी बनाई गई है। यह ठीक नहीं है कि उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाये और मैं संशोधन पेश करने वालों से एक बार और अपील करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि वह एकमत से पास हो जायेगा।

***श्री के. संतानम्:** यदि सभापति महोदय यह निर्णय करें कि इस कमेटी की तजबीजें समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखी जायेंगी तो मैं खुशी से अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

***सभापति:** पं. जवाहरलाल नेहरू।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि कमेटी की तजबीजों का समर्थन आवश्यक है तो मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

***सभापति:** मैं उचित समय में इस बारे में अपना निर्णय बताऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (यू.पी. : जनरल): सभापति महोदय, श्री मुंशी ने जिस प्रस्ताव को सभा के सामने रखा है वह एक बहुत ही सीमित प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि वह इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधित्व के तरीके को निश्चित करे। यह उन तमाम सवालों को हल करने के लिये नहीं पेश किया गया है जो रियासतों और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में एक से हैं। श्री लहिरी ने एक दो ऐसी रियासतें बताईं जहां राजनैतिक संघर्ष चल रहा है। स्पष्टत: इस कमेटी का रियासतों की अन्दरूनी बातों से कोई मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में, मुझे आशा है, हम तब विचार करेंगे जब रियासतों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं और इन मामलों को तय कर सकते हैं। इसलिये इस समय हमें सिर्फ इस पर विचार करना है कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

अब श्रीमान्, दलित जातियों या आदिवासियों के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि हम एक सीमित विषय पर विचार कर रहे हैं। नि:संदेह दलित जातियों को अपने हितों की रक्षा करनी है। लेकिन यह सवाल इस कमेटी को तय नहीं करना है। यह कमेटी रियासतों के अलावा हिन्दुस्तान के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करती है और यह नरेशों के प्रतिनिधियों से मिलेगी। मैं इसे साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि इसे नरेशों की निगोशियेटिंग कमेटी से मिलना है। मेरे विचार में निगोशियेटिंग कमेटी में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि होने चाहियें थे और मेरी राय में अब भी यदि निगोशियेटिंग कमेटी सही बात करना चाहती है तो उसे कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल कर लेना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस समय हम इस पर जोर नहीं दे सकते। जब तक इस मामले में बातचीत करने के लिये हम एक कमेटी न बनायें, रियासतों के प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हम नरेन्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही नहीं मिलेंगे, लेकिन रियासतों के दूसरे ऐसे प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जो कि शायद उसमें शामिल नहीं किये गये हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम उनसे यह तय करने के लिये मिल रहे हैं कि किस तरीके से रियासतों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इस सूरत में, और रियासतें जैसी हैं उनको देखते हुये, आपकी समझ में आ जायेगा कि कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर कई ऐसी छोटी रियासतें हैं जिनका हम, उन्हें समूहों में रख के या किसी दूसरे तरीके से प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे क्योंकि यह संभव नहीं होगा कि हर एक रियासत का एक प्रतिनिधि हो। आप देखिये कि कितनी रियासतें हैं और हमें कितने प्रतिनिधि बुलाने हैं। हैदराबाद और काश्मीर जैसी रियासतों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर होगा। कुछ बड़ी रियासतों के दो, तीन या चार प्रतिनिधि हो सकते हैं लेकिन अधिकतर रियासतों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा। उनमें से कई का एक प्रतिनिधि भी नहीं होगा। हमें उन्हें एक समूह में रखना होगा या कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इनके अलावा कोई दूसरा प्रश्न जिसका किसी वर्ग विशेष या रियासतों की अंदरूनी बातों से सम्बन्ध हो, इस कमेटी के सामने नहीं आयेगा। वे प्रश्न बाद को, जब रियासतों के प्रतिनिधि भी यहां रहेंगे, इस असेम्बली में पेश किये जायेंगे।

मैं निवेदन करता हूं कि इस कमेटी के सामने किसी विशेष समूह, सम्प्रदाय, प्रान्त या रियासत का प्रश्न नहीं आयेगा। यहां जो लोग उपस्थित हैं उनमें से हम इस कमेटी में उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिनको इस मामले की जानकारी है। लेकिन इस विशेष उद्देश्य के लिये आप समूहों के प्रतिनिधियों को रखने के बारे में विचार नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम ऐसा करें तो कोई वजह नहीं है कि जितने भी वर्ग यहां हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। यदि आप ट्रावनकोर की रियासत को लें तो आप देखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से वहां की बहुत बड़ी आबादी ईसाइयों, रोमन केथोलिकों, की है। ट्रावनकोर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रियासत है और वहां के लोगों का अक्सर सरकारी अधिकारियों से कलह उठ खड़ा होता है। काश्मीर एक दूसरी महत्त्वपूर्ण रियासत है। इस प्रकार यदि आप इस छोटी-सी कमेटी में साम्प्रदायिक आधार पर लोगों के प्रतिनिधि रखना चाहेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि इसे एक छोटी कमेटी होनी चाहिये, क्योंकि यदि हम एक बड़ी कमेटी बनायें तो उसे नरेशों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी इसलिये इस कमेटी को अलग-अलग वर्गों के आधार पर नहीं बनाना चाहिये, जैसी कि कुछ लोगों की राय है।

श्री जयपाल सिंह ने जो बयान दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वह यह है कि रियासतों का प्रजामंडल उड़ीसा की रियासतों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रियासतों का प्रजामंडल बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाया है जो उसे करने चाहिये थे क्योंकि उसे एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करना है। लेकिन वास्तव में उड़ीसा की रियासतों पर रियासतों के प्रजामंडल में अक्सर विचार हुआ है और रियासतों के प्रजामंडल की स्थायी समिति का एक मेम्बर उड़ीसा का ही है।

अब श्री संतानम् और दूसरे लोगों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका लक्ष्य यह है कि इस सभा को ही अंतिम अधिकार हो। लेकिन यदि सभापति महोदय इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें तो वे अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हैं इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि ऐसे विषयों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इस सभा का ही होना चाहिये और यह कि इस कमेटी को एक बातचीत करने वाली कमेटी होना चाहिये और इसे बातचीत करने के बाद इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये। यदि यह सभा इनके किसी कार्य से सहमत न हो तो उन्हें फिर उस सम्बन्ध में बातचीत करनी होगी।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

नि:संदेह ऐसे सभी मामलों में कुछ अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिये आप जब अन्य देशों से बातचीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अधिकार देते हैं। सभी देशों को उनकी राय मानने और न मानने का अधिकार है लेकिन आमतौर पर जब दो देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं और किसी मामले पर बहस करते हैं। और कोई बात तय कर लेते हैं तो जब तक कि किसी सिद्धान्त की हत्या न हो, उनके समझौते को मान लिया जाता है क्योंकि उससे दूसरे लोगों का भी सम्बन्ध होता है। यही बात इस बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन मैं यह राय देता हूं कि, यदि यह सम्भव हो, मेरे सामने प्रस्ताव नहीं है, यह सम्भव हो सकता है कि ये शब्द रखे जायें कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट इस सभा के सामने रखनी चाहिये।

***श्री अजीत प्रसाद जैन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? इस प्रस्ताव के अनुसार तीन समितियां बननी चाहियें। एक निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि यह सभा बनायेगी, एक दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि नरेशों ने बनाया है और जिसके मेम्बरों के नाम घोषित हो चुके हैं और एक तीसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसमें कि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि होंगे। ये कमेटियां किस तरह अपना काम करेंगी और मतभेदों को मिटायेंगी? यदि नरेशों का एक रुख हो और रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों व अन्य लोगों का दूसरा रुख हो तो वे किस तरह अपना काम करेंगे?

***सभापति:** मेरे विचार में मतभेदों को मिटाना निगोशियेटिंग कमेटियों का काम है और यह कमेटी व दूसरी कमेटी, जिसका हवाला आपने दिया है, मेरे विचार में इसको ध्यान में रख कर काम करेंगी।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): यदि मुझे अपने माननीय मित्र के सवाल का जवाब देने की इजाजत हो तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का वास्तव में यही उद्देश्य है। अगर रियासतों के विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच मतभेद है तो श्रीमान्, हम जानते हैं कि इस असेम्बली में भी हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच और रियासतों के लोगों के बीच और ब्रिटिश भारत के लोगों के बीच मतभेद है। इस प्रस्ताव में एक ऐसी समिति बनाने की तजबीज है जिसमें हमारा विश्वास हो और वह रियासतों के उन प्रतिनिधियों से बातचीत

करेगी जो निगोशियेटिंग कमेटी के लिये निर्वाचित किये गये हों या चुने गये हों। वह छोटी-सी कमेटी बनाने की तजबीज इसीलिए की गई है कि इस सभा से यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह नरेशों और रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत करे। सभापति महोदय, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किये गये हैं उन सभी का विरोध करता हूं। विपक्षियों ने जो कोई भी बातें कहीं उनके जवाब मुझसे पहले बोलने वाले लोगों ने दे दिये हैं और मैं उन्हें दुहराने नहीं जा रहा हूं। मैं इस सभा का ध्यान सिर्फ एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस कमेटी से किन सीमाओं के अन्दर काम करने की उम्मीद की जा सकती है। यह बताते हुये मैं माननीय मेम्बरों का ध्यान मंत्रिमंडल की योजना के पैराग्राफ 19/2 के वास्तविक शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। आप कृपा करके इस पर विचार करें कि यह कमेटी उस निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी जिसे कि रियासतों ने बना लिया है या बनाने वाले हैं। योजना के शब्द ये हैं ''चुनने का तरीका सलाह-मशविरे से तय किया जायेगा''। यह बहुत सम्भव है कि ''चुनने'' शब्द की कई तरह से व्याख्या की जायेगी। रियासतों के प्रतिनिधि सम्भवत: हमारी व्याख्या से दूसरी ही व्यवस्था करें और यही अन्य लोग भी कर सकते हैं। इसलिये इस पर जोर देकर कि प्रतिनिधित्व का यही तरीका हो और दूसरा नहीं, कमेटी के हाथ बांध नहीं देना चाहिए। हमें इसे बातचीत करने वालों पर छोड़ देना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री सोमनाथ लहिरी का संशोधन, जिसमें कमेटी को आदेश किया गया है कि उसे क्या करना चाहिये, अनियमित है क्योंकि वास्तव में वह सारे प्रस्ताव को ही खत्म कर देता है। यदि हम यह चाहें कि कोई कमेटी एक खास तरीके से काम करे तो वह बातचीत करने वाली कमेटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसे हमारे आदेशानुसार पहले से निश्चित किये हुये कार्यक्रम के अनुसार ही काम करना होगा। हमारे लिये यह उचित न होगा कि हम हिन्दुस्तान के लोगों के कई वर्गों को अपने विरुद्ध कर लें और यह जानते हुये भी कि इस सभा की यह भावना है कि रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को ही हम से बातचीत करने का अधिकार है, हमें बड़ी सावधानी से इस दिशा में कदम उठाना होगा और इस कमेटी को भी बड़ी सावधानी से काम करना होगा। हमें इस समय इस सम्बन्ध में पहले से निर्णय नहीं करना चाहिये और न कोई

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

ऐसी बात करनी चाहिए जिससे नुकसान पहुंचे, और कमेटी को इसे तय करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के सभी लोगों और रियासतों के लोगों की भलाई के लिये उसे किस ढंग से काम करना चाहिए। यदि हम उनके निर्णयों पर टिप्पणी करना चाहेंगे तो, जैसा कि पंडितजी ने आश्वासन दिया है, इसके लिए बहुत समय मिलेगा और हम लोग इस सभा में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव पास कर देना चाहिए और यह कि जो संशोधन पेश किये गये हैं, उन्हें वापिस ले लेना चाहिए।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास : जनरल): श्री मुंशी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा हूं। जब दलित जातियों के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया गया तो मैंने देखा कि इस बारे में बहुत शोर मचाया गया। चाहे उसका अवसर हो या न हो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाता है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि रियासतों में दलित जातियों की दशा यहां से कहीं गई बीती है। पिछले दिन जब मेरी कोचीन की बहिन हरिजनों की सामाजिक दशा पर बोल रही थीं तो उन्होंने रियासतों के लोगों की आर्थिक और राजनैतिक दुर्दशा का उल्लेख नहीं किया। मैं कोचीन रियासत के नायडियों का उदाहरण देता हूं। जिनको सिर्फ यह नहीं है कि छुआ नहीं जाता और उनके पास नहीं जाया जाता बल्कि उनको देखा भी नहीं जाता। यह जाति राजमार्गों से होकर नहीं जा सकती। इसलिए जो कमेटी रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है उससे मैं अनुरोध करता हूं कि उसे दलित जातियों के कुछ प्रतिनिधियों को या ऐसे लोगों को, जो परिगणित जातियों की असली जरूरतों को उन्हें बता सकें, शामिल करना चाहिए।

श्री दयालदास भगत (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। मैं हिन्दी जानता हूं और मेरे कई प्रतिष्ठित मित्र भी केवल इसी भाषा को जानते हैं। इसलिए इस सभा की कार्यवाही की कोई उपयोगी बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन मित्रों को जो हिन्दी जानते हैं यह कहें कि वे हिन्दी में ही बोलें ताकि हमारे समझने में आसानी हो।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लईः** यह प्रस्ताव यह तय करने के लिए पेश किया गया है कि कितनी जगहें दी जायेंगी और उन्हें किस तरह बांटा जायेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों से विनयपूर्वक कहूंगा कि उन्हें चाहिए कि वे अछूत भाइयों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करें।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): यद्यपि इस विषय को माननीय प्रस्तावक श्री के.एम. मुंशी ने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है और सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मैं उपवाक्यखंड (ख) में एक संशोधन करना चाहता हूं यानी 'निश्चित' शब्द की जगह ''तय'' शब्द रखा जावे और उसके आखिर में यह शब्द जोड़े जायें ''और उसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।''

चूंकि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह किया गया है कि निगोशियेटिंग कमेटी के प्रयत्नों का जो फल होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायेगा या नहीं, इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

इसके अलावा श्रीमान्, प्रस्ताव के उपवाक्यखंड (क) में 'निश्चित' शब्द की जगह भी ''तय'' शब्द रखा जाये।

इस सम्बन्ध में मैं दूसरी बातें न कह के सिर्फ इस पर जोर दूंगा कि इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है कि यह कमेटी जो कुछ बातचीत करेगी उसका ब्योरा इस सभा के सामने रखेगी और उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करेगी ताकि यह सभा अच्छी तरह समझ सके कि इस सभा की बनाई हुई कमेटी और नरेंद्रमंडल की बनाई हुई कमेटी के बीच क्या बातचीत हुई। मेरे विचार में विधान-परिषद् के इस अधिकार को प्रस्ताव में स्पष्ट कर देना चाहिए।

***श्री के.एम. मुंशीः** सभापति महोदय, प्रस्ताव पेश करते समय मैंने यह काफी साफ तौर से बता दिया था कि बातचीत का जो भी नतीजा होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायेगा और इस सम्बन्ध में यह भय होने का कोई कारण नहीं कि कमेटी कोई ऐसी बात तय करेगी जिसे कि सभा ठीक नहीं समझे। अब माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने एक संशोधन पेश किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट इस सभा के सामने रखी जायेगी। मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं है।

[श्री के.एम. मुंशी]

दूसरी बात यह कही गई है कि परिगणित जातियों का एक मेम्बर कमेटी में रखा जाये। माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का जवाब दे दिया है। यह कमेटी सभी वर्गों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक छोटी-सी कमेटी है और इसके सुपुर्द बहुत थोड़े से काम किये गए हैं और यह निश्चित उद्देश्य से बातचीत करेगी और कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने रखी जायेगी।

वहां *(पीछे की कुर्सियों में)* एक माननीय मेम्बर ने एक बात और कही। उन्होंने यह सवाल किया है कि ''निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी'' शब्दों को रखने की क्या जरूरत है। प्रस्ताव में इन शब्दों के रखने का विशेष कारण है।

> मंत्रिमंडल ने कहा है:-''विचार यह है कि अंतिम विधान-परिषद् में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और यह कि चूंकि ब्रिटिश भारत में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि रखे गये हैं उनके प्रतिनिधि 93 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन उनके चुनाव का तरीका सलाह-मशवरे से तय किया जायेगा। शुरू में एक निगोशियेटिंग कमेटी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगी।''

इसलिए रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली निगोशियेटिंग कमेटी का यह काम है कि वह यह तय करे कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। इस सभा को यह इत्तिला मिली है कि नरेन्द्र मंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है। लेकिन इस सभा को और मुझे भी इस बारे में कोई इत्तिला नहीं है कि आया जिस कमेटी को नरेन्द्रमंडल ने बनाया है वह सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती है और आया सभी रियासतें इस पर सहमत हो गई हैं कि यह निगोशियेटिंग कमेटी उनका प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमारी निगोशियेटिंग कमेटी को सिर्फ नरेंद्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही बातचीत न करनी होगी, लेकिन रियासतों से अलग-अलग भी बातचीत करनी होगी। यही कारण है कि प्रस्ताव में ये शब्द रखे गये हैं। इसलिए श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने जो संशोधन पेश किया है उसे इस सभा को स्वीकार कर लेना चाहिए।

***एक माननीय सदस्यः** मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार प्रकट करता हूं।

नरेन्द्रमंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है। यदि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि भी होंगे तो क्या वे उन प्रतिनिधियों के अलावा होंगे जो कि निगोशियेटिंग कमेटी में होंगे? मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक इसका जवाब दें।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैंने स्थिति को काफी स्पष्ट कर दिया है। हम अपनी निगोशियेटिंग कमेटी को इस बारे में पूरी स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी से और यदि वह उचित समझे तो रियासतों से अलग-अलग बातचीत करे। यदि वे कोई ऐसा निर्णय करना चाहें, जिसे वे उचित समझें, तो इस सम्बन्ध में उनके अधिकार को हम सीमित नहीं करना चाहते। इस बारे में प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है।

(श्री पी.आर. ठाकुर बोलने के लिए उठे)

***सभापतिः** प्रस्तावक जवाब दे चुके हैं।

(श्री पी.आर. ठाकुर मंच पर आ गये)

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, क्या प्रस्तावक के जवाब देने के बाद किसी मेम्बर को भाषण देने का अधिकार है?

***सभापतिः** श्री ठाकुर अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

***श्री पी.आर. ठाकुरः** माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को देखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं लेकिन मैं एक ही बात *(आवाजें...नहीं, नहीं)* कहना चाहता हूं। *(कई मेम्बर...नहीं, नहीं)* मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि 93 जगहों में से कम से कम पांच जगहें दलित जातियों को दी जायेंगी।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** श्रीमान्, जो संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, उसे देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

मैं चाहता हूं कि दीवान चमनलाल का पूरा संशोधन पढ़ दिया जावे ताकि हम उसे ठीक तौर से समझ सकें।

***सभापतिः** प्रस्ताव का उप-पैरा (ख) संशोधित होने पर इस प्रकार होगा:

''इस असेम्बली के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका कैसे तय किया जाये और इसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।''

यह प्रस्ताव उस संशोधन के साथ जिसे कि प्रस्तावक श्री के.एम. मुंशी ने स्वीकार कर लिया है, इस तरह होगा—

''यह असेम्बली यह निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी—

(1) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,

(2) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू,

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल,

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया,

(5) श्री शंकरराव देव, और

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर,

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्रमंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह:

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण तय करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के 16 मई सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिये सुरक्षित रखी गई है।

(ख) इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करे।

और इसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद की तीन मेम्बरों से अतिरिक्त मेम्बर न रखे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।''

अब मि. लहिरी के दूसरे संशोधन का क्या होगा?

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** यह देखते हुये कि हम बातचीत की रिपोर्ट पर विचार कर सकेंगे और यदि रियासतों के लोगों की आवश्यकताओं पर पूरी तौर से ध्यान न दिया गया हो तो उन पर उस समय जोर दे सकेंगे, मैं अपने दूसरे संशोधन को वापस लेता हूं।

***सभापति:** अब सब संशोधनों पर विचार हो चुका है। प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य

***सभापति:** अब हमें जाब्ते के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना है। इसके पहले मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसे मेरे विचार में मुझे आज इसके पहले ही देना चाहिये था लेकिन मैं भूल से ऐसा न कर सका। परसों सभा विसर्जित होने के पहले हम पं. जवाहरलाल नेहरू के पेश किये हुये प्रस्ताव पर बहस कर रहे थे और उस प्रस्ताव पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग उस पर बोलने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मेरे सामने अब भी करीब 50 नाम हैं। यह साफ है कि इस बहस को अब जारी रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे इस असेम्बली का दूसरा जरूरी काम रुक जायेगा। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव पर बहस रोक दी और अब मेरी यह तजबीज है कि उसकी जगह इन जरूरी बातों को रख दिया जाये। उसके बाद यदि हमारे पास समय होगा तो हम उस प्रस्ताव पर फिर बहस करने लगेंगे। यह हो सकता है कि क्रिसमस के लिये सभा विसर्जित करने के पहले हमें उस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए कुछ भी समय न मिले। इसलिए जब हम फिर मिलें तो इस पर आगे बहस करेंगे। इस बीच में जो लोग यहां नहीं हैं वे यहां आकर हमें फायदा पहुंचा सकते हैं और इस प्रस्ताव पर उनके विचारों को सुनकर भी हमें लाभ हो सकता है। इसलिए अगली बैठक तक इस पर और बहस स्थगित रखी जाती है।

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार

***सभापति:** श्री मुंशी रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर किस समय तक संशोधन स्वीकार किये जायेंगे?

***सभापतिः** आज शाम तक।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** कल सुबह 11 बजे तक।

***सभापतिः** जी हां, कल सुबह 11 बजे तक। लेकिन हम बहस को बंद नहीं करेंगे। हम उसे जारी रखेंगे। यदि कोई संशोधन पेश किया जायेगा तो हम उस बारे में दुबारा विचार करेंगे, लेकिन मैं बहस को बंद नहीं करूंगा। हम इस प्रस्ताव पर बहस करेंगे।

***श्री के.एम. मुंशीः** सभापति महोदय, मैं इस सभा के सामने रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूं। इस रिपोर्ट की एक प्रति मेम्बरों के सामने रख दी गई है और इस समय मैं सभा का ध्यान केवल नियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण अंगों की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि उसे रूल्स कमेटी से सहानुभूति होनी चाहिए। रूल्स कमेटी पर काम का बड़ा भार रहा है। श्रीमान्, यह सभा इसे अच्छी तरह जानती है यह बहुत जरूरी है कि हम बैठक खत्म करने से पहले नियमों को स्वीकार कर लें और इस संगठन का काम शुरू कर दें ताकि विधान-परिषद् के संगठन का काम पूरा हो जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इस कमेटी के मेम्बरों ने नियमों के हर एक अंग पर बड़ी सावधानी से विचार किया है और हमें इस कार्य में अपने वैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित कानून के विशेषज्ञ से सहायता मिली है। कमेटी ने उन्हें अच्छे से अच्छा रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सम्भव है कि बहुत से दोष रह गये हों और सभा इनमें कुछ असंगत बातों को पाये। मुझे विश्वास है कि इनमें विभिन्न मतों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखें। ये असेम्बली के नियम हैं। फिर सम्मिलित होने पर हम इनमें बदलाव कर सकते हैं या इनमें कुछ जोड़ सकते हैं यदि कुछ बातें रह गई हों और नई बातें रखने की राय हो तो हम उन्हें किसी समय भी शामिल कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम नियमों को स्वीकार कर लें और एक या दो ऐसी कमेटियां बना लें जो विधान-परिषद् के संगठन को चलावें।

इन बातों को कह कर मैं अभी नियमों की कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को बताता हूं ताकि इस सभा के मेम्बर अच्छी तरह समझ लें कि इस संगठन का क्या रूप है।

श्रीमान्, मैं इस सभा का ध्यान नियम 2 वाक्यखंड (घ) की ओर दिलाना चाहता हूं। हमने नामों में इस हद तक बदलाव किया है कि हमारे स्थायी सभापति

अब अध्यक्ष कहे जायेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि कई सभापति होंगे जैसे कि सेक्शनों के सभापति, कमेटियों के सभापति, एडवाइजरी कमेटी के सभापति इत्यादि। यह जरूरी है कि स्थायी सभापति का कोई अलग ऐसा नाम हो जिसे दूसरे सभापति के नाम से आसानी से पहचाना जा सके। दूसरा कारण यह है कि हम एक स्वतंत्र सभा के रूप में काम कर रहे हैं, इस समय इस असेम्बली के काम के लिए भारत सरकार से कर्मचारियों का एक संगठन लिया गया है। लेकिन जैसे ही नियम पास हो जायेंगे हम एक अपना संगठन बनायेंगे और स्वभावत: अध्यक्ष उस संगठन के शासन-प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। इसलिए एक संगठन के प्रधान होते हुये उनका नाम सभापति होना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं नियम 27 के उप-पैराग्राफ 8 की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है:

> ''अध्यक्ष इस असेम्बली के अधिकारों का संरक्षक, इसका वक्ता और प्रतिनिधि और इसके शासन-प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होगा।''

इसी कारण से रूल्स कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि स्थायी सभापति का नाम अध्यक्ष हो।

अध्याय 2 मेम्बरों को पदासीन करने और जगहों के खाली होने के सम्बन्ध में है। यदि मैं यह कहूं कि यह बहुत कुछ एक रस्मी अध्याय है तो यह अनुचित न होगा।

अध्याय 3 इस असेम्बली की कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं। इसमें अधिकतर यह बताया गया है कि इस असेम्बली और उसकी कई शाखाओं में काम किस तरीके से किया जाये। यदि कोई महत्त्वपूर्ण आदेश है तो यह पृष्ठ 5 में है जिसमें नियम 7 दिया गया है उसमें कहा गया है:

> ''यह असेम्बली तब तक खत्म न की जायेगी जब तक कि इस असेम्बली के मेम्बरों की पूरी संख्या के दो तिहाई मेम्बर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमत न हों''

जैसा कि सभापति महोदय ने उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी सभा सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न है और इसलिए यह बिलकुल हम पर निर्भर है कि हम इसे खत्म करें या न करें। यह इस नियम में स्पष्ट कर दिया गया है।

[श्री के.एम. मुंशी]

दूसरा महत्त्वपूर्ण नियम जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, नियम 15 है। नियम 15 असेम्बली के लिये ही नहीं बल्कि उसकी शाखाओं के लिए भी कोरम (उपस्थिति) निर्धारित करता है। जब किसी प्रान्तीय विधान को निश्चित किया जा रहा हो तो यह आवश्यक है कि उस प्रान्त के कम से कम 25 प्रतिनिधि मौजूद हों।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम 18 है, उसमें दिया हुआ है कि:

> ''असेम्बली की कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) या अंग्रेजी में होगी। मगर सभापति किसी मेम्बर को जो इन भाषाओं में से किसी भाषा को जानता हो, इस असेम्बली में अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे। सभापति जब कभी आवश्यक समझेंगे किसी मेम्बर ने जिस भाषा में भाषण दिया हो उससे दूसरी भाषा में उस भाषण का सारांश असेम्बली के सामने रखने का प्रबंध करेंगे और यह सारांश असेम्बली की कार्यवाही की रिपोर्ट में दर्ज किया जायेगा।''

कुछ मिनट पहले एक मेम्बर महोदय ने, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह शिकायत की थी कि यहां जो कुछ हो रहा है उसे वे नहीं समझ रहे हैं। यह नियम इस कठिनाई को दूर करने के लिये बनाया गया है। इस नियम के उपवाक्यखंड 2 में कहा गया है कि—

> ''असेम्बली के सरकारी कागजात हिन्दुस्तानी भाषा (हिन्दी और उर्दू) दोनों में और अंग्रेजी में रखे जायेंगे।''

इससे यह होगा कि हमारे सरकारी कागजात तीन भाषाओं में यानी हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में रखे जायेंगे।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात पृष्ठ 9 में नियम 23 और 23 ए में कही गई है। यह उस कार्यक्रम के अनुसार है जिसका उल्लेख मंत्रिमंडल के बयान में किया गया है।

> ''कार्यवाही के तरीके के सम्बन्ध में सभी मामलों में सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

मगर शर्त यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो जो प्रमुख साम्प्रदायिक प्रश्न समझा जाये तो सभापति किसी प्रमुख जाति के प्रतिनिधियों के बहुमत से प्रार्थना करने पर अपना निर्णय देने के पहले फेडरल कोर्ट से सलाह लेंगे।''

यह बयान का एक हिस्सा है।

''मगर शर्त यह भी है कि कोई सेक्शन यूनियन असेम्बली के कर्त्तव्यों का अतिक्रमण नहीं करेगा और न बयान के पैराग्राफ 20 में बताई हुई एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर यूनियन असेम्बली जो निर्णय करे, उसमें कोई बदलाव करेगा।''

नियम 23 ए में एडवाइजरी कमेटी के कर्त्तव्यों का पूरा ब्योरा दिया हुआ है:

''बयान के पैराग्राफ 19 और 20 में बताई हुई एडवाइजरी कमेटी का ही यह कर्त्तव्य होगा कि यह प्रस्ताव पेश करे और उन पर विचार करे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा और कबायली और पृथक् क्षेत्रों के शासन-प्रबंध के वाक्यखंडों के बारे में असेम्बली के सामने रिपोर्ट पेश करे और यह असेम्बली का ही कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी रिपोर्ट पर निर्णय करे और इस सवाल को तय करे कि विधान में इन अधिकारों को उचित स्थान पर रखा जाये।''

एडवाइजरी कमेटी का यह काम है कि सारे हिन्दुस्तान के खास-खास मामलों पर और प्रान्तों की कठिनाइयों पर भी विचार करे; इसलिए नियम 20 के अनुसार जब कभी यूनियन असेम्बली की बैठक हो, उसमें इन पर विचार होगा।

अध्याय 4 अध्यक्ष के विषय में है, और उसमें बताया गया है कि यदि यह जगह खाली हो या जब कभी खाली हो तो वह कैसे भरी जाये। जैसा कि यह सभा देखेगी यह प्रस्ताव बहुत कुछ रस्मी है।

अध्याय 5 उपाध्यक्षों के बारे में है और यह तजबीज की गई है कि 5 उपाध्यक्ष हों। दो उपाध्यक्ष इस सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और हर एक सेक्शन का अध्यक्ष, जब कि वह अपना अध्यक्ष निर्वाचित करे, अपने पद की हैसियत से असेम्बली का उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष मिलकर असेम्बली व उसकी विभिन्न शाखाओं के कामों में एकसानियत पैदा करेंगे।

[श्री के.एम. मुंशी]

अध्याय 6 विधान-परिषद् के दफ्तर के बारे में है। यह दो शाखाओं में विभाजित है—एडवाइजरी ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। एडवाइजरी ब्रांच के अध्यक्ष कांस्टिट्यूशनल एडवाइजर होंगे और पूरे समय काम करने वाले सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अध्यक्ष होंगे।

अध्याय 7 कमेटियों के बारे में है और कमेटियों में सबसे प्रथम और सम्भवत: सबसे महत्त्वपूर्ण कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है। माननीय मेम्बर देखेंगे कि नियम 39 में स्टीयरिंग कमेटी के कर्त्तव्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इस अध्याय के नियमानुसार बनाई हुई स्टीयरिंग कमेटी का काम यह है कि वह एक तरह के प्रस्ताव और संशोधनों को एक साथ रखे और यदि सम्भव हो तो एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत कराये और यह कि असेम्बली और उसके दफ्तर के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच और सभापति और असेम्बली के किसी भाग के बीच साधारणतया सम्बन्ध स्थापित करने वाली समिति का काम करे। इस प्रकार यह कमेटी एक केन्द्रीय शासन-संगठन हो जाता है जो कि असेम्बली की सभी शाखाओं के कार्य का एकीकरण करेगा।

इसके बाद स्टाफ को नियुक्त करने और फिनेन्स कमेटी बनाने का सवाल आता है। निर्वाचित और दूसरे मेम्बरों के परिचय-पत्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठे उनको हल करने के लिए क्रेडेंशियल कमेटी को भी नियुक्त करना है। दूसरी कमेटियों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

अध्याय 8 बजट के बारे में है।

अध्याय 9 वेतनों और भत्तों के बारे में है जिन्हें कि स्टाफ और फिनेंस कमेटी से स्वीकार कराना होता है।

इसके बाद अध्याय 10 में चुनावों के बारे में संदेह और झगड़ों का उल्लेख है। ये आदेश बहुत कुछ रस्मी हैं और साधारणतया ये उन कानूनों के आधार पर हैं जो हिन्दुस्तान के चुनाव के झगड़ों के बारे में हैं। एक ही बात रह गई है और वह नियम 55 में दे दी गई है। नियम 55 में कहा गया है कि–

> ''यदि ऐसी सिफारिश की गई हो तो सभापति प्रार्थनापत्र की जांच के लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे जिसमें एक या एक से अधिक लोग होंगे।''

अब जहां तक उन विषयों का सम्बन्ध है जिसके बारे में ट्रिब्यूनल निर्णय करेगा, वे नियमों में नहीं आ सकते। वह इस सभा के किसी मेम्बर की हैसियत के बारे में ही निर्णय करेगा और यह समझा जा रहा है कि यह एक आर्डिनेंस द्वारा ही सम्भव होगा क्योंकि वह कानून का एक हिस्सा हो जायेगा। वरना यह सम्भव है कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जाता है कि वे आवश्यक आर्डिनेंस को जारी करने के लिए उचित अधिकारी से कहें।

अध्याय 11 में कुछ ऐसे आदेशों का उल्लेख है जो सारे देश का मत लेने और प्रान्तीय विधान के बारे में हैं। यह सभा देख सकती है कि नियम 58 (1) उन आदेशों के बारे में है जिनके अनुसार कई प्रान्तों और रियासतों को, अपनी धारा सभाओं द्वारा, इस असेम्बली के उन प्रस्तावों पर जिनमें विधान के मुख्य अंगों का उल्लेख हो और, यदि असेम्बली तय करे तो, विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया गया है।

इसके अलावा वाक्यखंड 2 में सम्बन्धित प्रान्तों को अपने विधानों पर मत प्रकट करने के लिए इसी प्रकार का अवसर दिया गया है। उसमें कहा गया है:

> ''इसके पूर्व कि किसी प्रान्त का विधान अंतिम रूप से निर्धारित किया जाये उसको नियत समय के अन्दर सेक्शनों के प्रस्तावों और निर्णयों इत्यादि के बारे में अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा।''

इससे स्वभावत: सारे देश को उन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल जाता है जिनके बारे में, इस असेम्बली में, सेक्शनों में या विधान के हिस्सों पर विचार करने वाली किसी दूसरी कमेटी में बहस हो।

नियम 59 में हमारे सभी चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करने का उल्लेख है। नियम 61 नियमों में संशोधन के बारे में है और नियम 62 में इसकी व्यवस्था है कि इन नियमों के आदेश आवश्यक परिवर्तन के साथ, सेक्शनों और असेम्बली की कमेटियों पर लागू होंगे। सेक्शन ऐसी स्थायी आज्ञायें निर्धारित कर सकते हैं जो इन नियमों के विपरीत न हों।

इन नियमों को प्रयोग में लाने में यदि कोई कठिनाई आ पड़े तो उसे दूर करने के लिए नियम 63 में अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है। साधारणतया यह

[श्री के.एम. मुंशी]

नियमों का ढांचा है और मुझे आशा है कि सभा उनको स्वीकार कर लेगी। इसलिए अब मैं सभा के सामने नियमित रूप से कमेटी की रिपोर्ट रखता हूं और यह प्रस्ताव पेश करता हूं, ताकि वाद-विवाद और काम रस्मी न हो, इसलिए यह सभा सारे असेम्बली की एक कमेटी का रूप धारण कर ले और यह कि उसकी कार्यवाही गुप्त रूप से हो।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करती हूं।

(प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया)

***श्री बी. शिवाराव** (मद्रास : जनरल): महोदय, मैं इस सभा को एक राय देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि कई मेम्बर मुझसे सहमत हैं।

यह रिपोर्ट हमको कल रात देर से या आज बड़े सवेरे मिली है और हम में से बहुत से लोगों को इसे पढ़ने के लिए काफी समय नहीं मिला। मेरी यह राय है आज दोपहर के बाद इस सभा की बैठक न हो जिससे हम में से वे लोग जिनकी इन नियमों में दिलचस्पी है, सम्मिलित हो सकें और अपने संशोधनों को विषयानुसार रखकर उनमें से मुख्य संशोधनों को छांट सकें ताकि उन पर कल सुबह इस सभा में बहस हो सके। यदि हम इस ढंग से काम करें तो ऐसे बहुत से संशोधनों पर जो आज पेश किये जायेंगे पहले ही विचार हो जायेगा और बहुत सम्भव है कि हम सब काम कल ही खत्म कर दें। इसलिए मैं यह राय देता हूं कि हम आज दोपहर के बाद बैठक न करें बल्कि कल सुबह ही सम्मिलित हों।

***सभापति:** मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब कल हम सिर्फ नियमों पर विचार करेंगे। परसों हमें कुछ उन कमेटियों को चुनना है जिनकी व्यवस्था इन नियमों में की गई है। यदि सभा का यह विचार है कि वह कल और परसों नियमों पर विचार करके उन्हें पास कर देगी तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति सभा की तरफ से इसका आश्वासन दे सकता है कि हम काम खत्म कर लेंगे।

***एक माननीय सदस्य:** हम कल सम्मिलित होंगे।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मुझे नियम आज

सुबह ही मिले। मैंने इनको पढ़ा और श्रीमान्, मैंने देखा कि अधिकतर नियम अविवाद हैं। हम इनमें कुछ और जोड़ नहीं सकते। सिवाय नियम 20, 23 और 23 ए के उन विवादग्रस्त भागों के जो बहुत कुछ विषय-सम्बन्धी संशोधनों के रूप में हैं। इसलिए काम रोकने का प्रस्ताव करके हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कल कभी नहीं आता, हमें आज ही काम शुरू करना चाहिए।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान्, माननीय सज्जन ने अभी कहा है कि नियमों में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम यही मालूम करने के लिए हमें उन्हें पढ़ना तो है ही।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री शिवाराव ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करता हूं। आखिर काम रोकने का कोई अर्थ नहीं है। कल हम लोग सम्मिलित होंगे और पूर्ण व स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे। जैसा कि एक माननीय मेम्बर ने अभी कहा, नियमों को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। यह सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों जिनको सुधारा जा सकता है। केवल सैद्धांतिक और विवादग्रस्त विषयों में अधिक समय लगेगा। पहले की तरह हम एक-एक नियम को लेकर विचार करेंगे और यदि कुछ विवाद न हो तो हम उन्हें आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरीके से हम नियमों पर कम-से-कम समय में विचार कर सकेंगे।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर:** श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी एक-एक नियम को लेकर पढ़ेंगे और थोड़ी देर खड़े रहेंगे। यदि उसमें कुछ जोड़ने को न हो तो हम उसे फौरन ही स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नियम को उठायेंगे। यदि कोई नियम विवादग्रस्त हो तो वह दूसरे दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। इस बीच में हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि आया कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं।

***सभापति:** क्या मैं यह समझूं कि यह सभा यह चाहती है कि हम नियमों पर विचार करें?

***कई माननीय सदस्य:** जी हां।

***सभापति:** जो लोग इसके विरोध में हों?

(कोई नहीं)

***सभापतिः** हम नियमों पर विचार करेंगे चूंकि 1 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है इसलिए हम ढाई बजे या तीन बजे काम शुरू करेंगे।

***कई माननीय सदस्यः** तीन बजे।

***श्री के.एम. मुंशीः** आधे घंटे में हम कुछ नियमों को समाप्त कर सकते हैं।

***सभापतिः** हम तीन बजे काम शुरू करेंगे और फिर गुप्त रूप से सभा करेंगे। सभा एक कमेटी का रूप धारण कर लेगी। तीन बजे उसकी बैठक होगी। इसके बाद तीन बजे तक दोपहर के भोजन के लिए असेम्बली स्थगित रही।

दोपहर के भोजन के बाद तीन बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की फिर बैठक हुई।

(इसके बाद सभा की कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।)

गोपनीय

केवल सदस्यों के निजी व्यवहार के लिए

अंक 1
संख्या 11

शनिवार 21 दिसम्बर
रविवार 22 दिसम्बर
सोमवार 23 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव 1
2. नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट 1
3. नियम 8

गोपनीय

केवल सदस्यों के लिए

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 21 दिसम्बर सन् 1946 ई.

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित

***सभापतिः** कार्यक्रम का दूसरा विषय है नियम-निर्मातृ समिति की रिपोर्ट पर विचार। इस रिपोर्ट पर विचार करने के पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं। मुझे यह पहले कह देना चाहिए था पर मैं इसे कहना भूल गया था। परसों जब सभा उठी तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद कर रहे थे। उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस प्रस्ताव पर बोलने वाले सज्जनों की सूची बड़ी लम्बी है। अब भी हमारे सामने करीब 50 वक्ताओं के नाम हैं अवश्य ही यह सम्भव नहीं है कि सभा के दूसरे जरूरी कामों को रोके बिना हम आगे इस प्रस्ताव पर बहस जारी रख सकें। इसलिए उक्त प्रस्ताव पर मैंने बहस रोक दी और अब मैं चाहता हूं कि अन्य आवश्यक विषय निबटा दिये जाये। उसके बाद अगर हमारे पास समय रहता है तो हम उस प्रस्ताव पर पुनः बहस शुरू करेंगे। हो सकता है कि बहुत दिनों के लिए सभा बरखास्त हो, और उसके पहले इस पर बहस करने का समय आपको न मिले। इसलिए आगामी बैठक में इस पर आगे बहस की जायेगी। इस बीच में हमें इस बात का भी लाभ हो सकता है कि आज जो शामिल नहीं हैं, वह भी शामिल हो जायें और हम यह भी जान सकें कि इस प्रस्ताव पर उनके क्या विचार हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे बहस आगामी बैठक तक स्थगित रखी जाती है।

नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति

***सभापतिः** नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट श्रीयुत् के.एम. मुंशी सभा के सामने पेश करेंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर संशोधन कब तक स्वीकार किया जायेगा?

***सभापतिः** आज शाम तक।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** कल प्रातः 11 बजे तक नहीं?

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***सभापतिः** कल प्रातः 11 बजे तक भी हो सकता है। पर हम वाद-विवाद नहीं रोकेंगे। यह काम जारी रहेगा। अगर कोई संशोधन आया तो हम उस बात पर विचार करेंगे पर बहस नहीं रुकेगी। प्रस्ताव पर हम बहस जारी रखेंगे।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट मैं सभा के सामने पेश करता हूं। रिपोर्ट की एक-एक नकल सभी सदस्यों के पास है। इस समय नियमों के चन्द खास पहलुओं की ओर ही मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा। आशा है यह सभा उक्त समिति की त्रुटियों का ख्याल न करेगी। नियम-निर्मातृ-समिति पर काम का बहुत भार रहा है। सभा अच्छी तरह जानती है कि पेश्तर इसके कि उक्त समिति भंग हो, यह बहुत आवश्यक है कि नियम वगैरह हम स्वीकार कर लें और इस संगठन को चालू कर दें ताकि विधान-परिषद् का संगठन-मूलक काम पूरा हो जाये। मैं आप को बता दूं कि समिति के सदस्यों ने नियमों के प्रत्येक पहलू पर पूरा ध्यान दिया है और हमें इस काम में अपने योग्य और प्रसिद्ध वैधानिक सलाहकार श्री वी.एन. राव से पूरी मदद मिली है। जहां तक इससे हो सका है समिति ने यथासम्भव सभी नियम बनाने की कोशिश की है। पर मैं कहूंगा कि हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हों और सभा को कुछ खामियां दिखाई पड़ें। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों। इसलिए मैं सभा से क्षमा-प्रार्थी हूं। ये असेम्बली के नियम हैं। जब हम पुनः समवेत होंगे तो इनमें परिवर्तन या जोड़ कर सकते हैं। इनमें अगर कोई बात छूट गई है तो हम सदा जोड़ सकते हैं। पर यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम इन नियमों को मंजूर कर लें और एक या दो कमेटियां नियुक्त कर दें जो इस परिषद् के संगठन को चालू रखें।

इतना कहने के बाद अब मैं संक्षेप में नियम सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों पर प्रकाश डालूंगा ताकि सदस्यों के दिमाग में उस ढांचे का नक्शा साफ-साफ आ जाये जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सभापति जी, मैं सभा का ध्यान नियम नं. 2 धारा घ की ओर आकृष्ट करूंगा। हमने नामकरण में यहां तक परिवर्तन कर दिया है कि स्थायी चेयरमैन को अब हम प्रेसीडेंट कहेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि चेयरमैन बहुत से बनाये जायेंगे जैसे सेक्शनों के चेयरमैन, समितियों के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन इत्यादि। यह बहुत आवश्यक है कि स्थायी चेयरमैन का नामकरण ऐसा हो कि उससे अन्य चेयरमैनों का बोध न होकर खास स्थायी चेयरमैन का ही बोध हो। दूसरा कारण यह है कि एक स्वतंत्र संस्था की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत सरकार द्वारा इस परिषद् को एक संगठन अथवा कार्यालय उधार स्वरूप प्राप्त हुआ है। पर इन नियमों की स्वीकृति होते ही हमारा अपना संगठन हो जायेगा और स्वभावतः प्रेसीडेंट इस संगठन के सर्वोच्च अधिकारी होंगे।

इसलिए इस परिषद् के सभापति के लिए ''चेयरमैन'' शब्द का प्रयोग उपयुक्त न होगा। इस सम्बन्ध में नियम नं. 27 सब-पैरा 8 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा:

> ''प्रेसीडेंट इस परिषद् के विशेषाधिकारों के रक्षक, इसके प्रतिनिधि और सर्वोच्च अधिकारी होंगे।''

यही कारण है कि नियम-निर्मातृ-समिति ने स्थायी चेयरमैन को प्रेसीडेंट कहना चाहा है।

रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में सदस्यों की भर्ती तथा रिक्त स्थानो की पूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

तीसरे अध्याय में परिषद् के कार्य संचालन पर विचार किया गया है। इसमें विशेष रूप से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है कि इस परिषद् और उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के कार्य संचालन में क्या विधि बरती जाये। इसके सम्बन्ध में एकमात्र आवश्यक व्यवस्था पृष्ठ 5 पर नियम नं. 7 है:

> ''यह परिषद् एक ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा भंग की जा सकती है जिस पर समस्त सभा के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति हो, अन्यथा नहीं।''

सभापति महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कहा था कि यह परिषद् एक सर्वसत्ता सम्पन्न संगठन है। इसलिए यह बात केवल हम पर ही निर्भर करती है कि परिषद् भंग की जाये या नहीं। उक्त नियम से यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

दूसरा आवश्यक नियम जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है नियम नं. 15 । इस नियम में परिषद् तथा उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं का कोरम (कार्य-निर्वाहक-संख्या) निर्धारित किया गया है। प्रांतीय विधान बनाने के लिए प्रांत की प्रतिनिधि संख्या का 2/5वां हिस्सा कोरम निर्धारित किया गया है।

दूसरी आवश्यक बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा वह है नियम नं. 18 । इसमें कहा गया है कि–

> ''परिषद् की कार्रवाई हिन्दुस्तानी (हिंदी या उर्दू) या अंग्रेजी में होगी। जो सदस्य उक्त दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं जानते हैं उन्हें सभापति उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं और वे अपनी मातृभाषा में सभा के सामने अपनी बात कह सकते हैं। सभापति जब आवश्यक समझेंगे तो इस बात का प्रबंध कर देंगे कि सभा को किसी भी सदस्य के भाषण का संक्षेप दूसरी भाषा में (जिस भाषा में सदस्य बोला हो उससे अन्य भाषा में) भी मिल जाये और यह संक्षेप परिषद् की कार्यवाही की किताब में शामिल कर दिया जायेगा।''

अभी कुछ मिनट पहले एक सदस्य की ओर से जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह शिकायत आई थी कि सभा में क्या हो रहा है वह नहीं समझ पाते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के अभिप्राय से यह नियम बनाया गया है। इस नियम

[श्री के.एम. मुंशी]

की उपधारा 2 कहती है:

''परिषद् की कार्यवाही की सरकारी रिपोर्ट हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू दोनों) तथा अंग्रेजी जुबान में रहेगी।''

इसका अर्थ यह है कि सरकारी रिपोर्ट तीन भाषाओं में—हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में रहेगी।

दूसरी आवश्यक बात पृष्ठ 9 पर नियम नं. 23 और 23 (क) में है। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य में जो विधि निर्धारित की गई है उसी के अनुसार यह व्यवस्था की गई है:

''कार्य-संचालन की पद्धति से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों में सभापति का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा:

''मगर शर्त यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से ऐसा प्रश्न उठता है जिसे वृहत् साम्प्रदायिक प्रश्न मानने का दावा किया जाये तो सभापति, दोनों प्रमुख सम्प्रदायों में से किसी भी सम्प्रदाय के बहुसंख्यक प्रतिनिधियों के अनुरोध पर, इस प्रश्न पर अपना फैसला देने के पहले फेडरल कोर्ट से परामर्श करेंगे। यह मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य का एक हिस्सा है।

''फिर शर्त यह है कि कोई सेक्शन संघ की असेम्बली के कामों में अनधिकार हस्तक्षेप न करेगा या संघ की असेम्बली के किसी ऐसे निर्णय में हेर-फेर करेगा जो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया हो जिसका जिक्र मंत्रिप्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य के पैरा 20 में आया है।''

उसके बाद एडवाइजरी कमेटी के कामों का विस्तार नियम 23 (क) में दिया गया है:

''जिस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य के पैरा 19 और 20 में आया है, उसका खास तौर से यह काम होगा कि वह मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा, कबायली क्षेत्रों और पृथक् क्षेत्रों के शासन आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करे या इस सम्बन्ध में आए प्रस्तावों पर विचार करे और इस परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। फिर यह केवल इस परिषद् का काम होगा कि वह इस रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला करे और इन अधिकारों को विधान में यथास्थान सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर भी अपना निर्णय करे।''

एडवाइजरी कमेटी का यह काम होगा कि समस्त भारत का ख्याल रखते हुए तथा प्रान्तीय कठिनाइयों को मद्देनजर रखकर वह खास-खास मामलों पर विचार करे। और इसलिए नियम नं. 20 के अनुसार, संघ की असेम्बली जब बैठेगी तो इन मामलों पर विचार करेगी।

चौथे अध्याय में प्रेसीडेंट के सम्बन्ध में तथा स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है। जैसा कि सभा देखेगी—थोड़ा बहुत यह अध्याय एक तरह केवल रस्मी मामलों से सम्बन्ध रखता है।

पांचवां अध्याय उप-सभापति (Vice-President) के सम्बन्ध में हैं और इसमें यह कहा गया है कि 5 उप-सभापति हों। दो उप-सभापतियों को यह सभा चुनेगी। जब सेक्शन अपने चेयरमैन का चुनाव कर लेगा तो उसके तीनों चेयरमैन भी इस पद की हैसियत से इस परिषद् के उप-सभापति होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि सभापति और पांचों उप-सभापति समवेत होकर परिषद् और इसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के कामों को एक सिलसिला दिया करेंगे।

छठां अध्याय इस विधान-परिषद् के कार्यालय से सम्बन्ध रखता है। यह दो भागों में बंटा है। एक परामर्श-विभाग (Advisory Branch) और दूसरा प्रबंध-विभाग (Administration Branch)। वैधानिक सलाहकार परामर्श-विभाग के प्रधान होंगे और प्रबंध विभाग के प्रधान होंगे पूर्ण-कालीन (full time) सेक्रेटरी।

सातवां अध्याय समितियों के सम्बन्ध में है, और सबसे पहली जरूरी कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी (Steering Committee) यानी चलाने वाली कमेटी। जैसा कि सदस्य देखेंगे नियम नं. 39 में इस स्टीयरिंग कमेटी के कामों की व्याख्या की गई है। स्टीयरिंग कमेटी का काम, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यह होगा कि वह समान आशय वाले प्रस्तावों और संशोधनों को छांट लेगी और अगर सम्भव हुआ तो इन प्रस्ताव और संशोधनों से सम्बन्ध रखने वाले दलों की स्वीकृति प्राप्त कर इनको (प्रस्तावों और संशोधनों) को एक कर देगी। यह कमेटी असेम्बली (परिषद्) और उसके कार्यालय के बीच, कमेटियों के बीच, सेक्शनों के बीच तथा सभापति और इस असेम्बली के किसी भाग के बीच एक मध्यवर्ती संस्था का-सा काम करेगी। इस तरह यह स्टीयरिंग कमेटी एक प्रबंध सम्बन्धी-केन्द्रीय संगठन होगा जो इस असेम्बली और इसकी अन्य शाखाओं के भिन्न-भिन्न कामों में समानता स्थापित करेगा।

इसके बाद ''स्टाफ और फाइनेंस कमेटी'' के निर्माण की बात आती है। एक ''क्रेडिन्शियल्स कमेटी'' भी बनानी है, जो इस बात का निर्णय करेगी कि सदस्यों का चुनाव जायज है या नाजायज। दूसरी कमेटियों की भी व्यवस्था की गई है।

आठवां अध्याय बजट से सम्बन्ध रखता है।

नवें अध्याय में वेतन और भत्ते की बातें हैं जिनकी 'स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी' से मंजूरी जरूरी है।

दसवें अध्याय में चुनाव सम्बन्धी झगड़ों और संदेहों पर विचार किया गया है। ये नियम कम या बेशी रस्म ढंग के हैं और उन्हीं नियमों की तरह के हैं जो भारत में चुनाव सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करते हैं एक मात्र आवश्यक बात जो छूट गई है, वह नियम 55 में दी गई है। नियम 55 कहता है:

> ''जहां ऐसी सिफारिश की गई है, सभापति एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों की चुनाव सम्बन्धी एक अदालत (Tribunal) मुकर्रर कर देंगे जो दरख्वास्तों की जांच करेगी।''

जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है जिस पर यह अदालत विचार करेगी,

[श्री के.एम. मुंशी]

वे नियम में शामिल नहीं किये जा सकते। इस अदालत का काम होगा सभा के सदस्यों की हैसियत पर फैसला देना। पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह एक आर्डिनेंस (विशेष कानून) द्वारा ही किया जा सकता है ताकि यह कानून में शामिल हो जाये, वरना बड़ी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह सभापति का काम होगा कि जरूरी आर्डिनेंस जारी करने के लिए वे समुचित अधिकारी से दरख्वास्त करें।

11वां अध्याय कतिपय उन व्यवस्थाओं से सम्बन्ध रखता है जो समस्त देश तथा प्रान्तीय परिषदों की राय जानने के लिए रखी गई हैं। जैसा कि सभा देख सकती है नियम 58 (1) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रान्तों और रियासतों को यह मौका दिया जाये कि वे अपनी धारा-सभाओं के जरिये परिषद् के उस प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त कर सकें जिसमें विधान-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों की रूपरेखा निर्धारित की गई है अथवा विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर अपनी राय जाहिर कर सकें बशर्ते कि परिषद् ऐसा तय करे।

खंड (2) में ऐसा ही मौका प्रान्तों को दिया गया है कि वे अपने विधान के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर कर सकें। यह कहता है:

> ''पहले इसके कि किसी भी प्रान्त का विधान अन्तिम रूप से तय हो, उस प्रान्त को इस बात का मौका दिया जायेगा कि वह सेक्शन के प्रस्तावों और फैसलों पर, इसके लिए निर्धारित समय के अन्दर, अपनी राय जाहिर कर सके।''

इससे स्वभावत: समस्त देश को इस बात का मौका मिल जाता है कि वह उन सभी प्रस्तावों पर विचार कर सके जिस पर असेम्बली, सेक्शन या विधान-निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली और कोई समिति वाद-विवाद करे।

नियम 50 में इस बात पर विचार किया गया है कि हमारे सब निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया जाये। नियम नं. 61 में नियमों में संशोधन करने की बात कही गई है। नियम नं. 62 यह कहता है कि इन नियमों की व्यवस्थाएं संक्षिप्त परिवर्तनों के साथ असेम्बली के सेक्शन और कमेटियों पर भी लागू होंगी। सेक्शन अपने नियम बना सकते हैं पर वे इन नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकते।

नियम नं. 63 में सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि इन नियमों को पालन करने में अगर कोई कठिनाई उपस्थित हो तो वह उसकी व्यवस्था करें। यह है नियमों का एक खाका और मुझे उम्मीद है कि सभा इसे मंजूर करेगी। इसलिए अब मैं नियमानुसार कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने पेश करता हूं और यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अब समूची सभा कमेटी में बदल जाये और इसकी कार्यवाही बंद कमरे में हो ताकि वाद-विवाद में पूरी आजादी रहे।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करती हूं।

***श्री बी. शिवाराव** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, मैं सभा के सामने

एक सुझाव रखना चाहता हूं और मुझे मालूम है कि इस सुझाव से, सभा के बहुतेरे सदस्य सहमत हैं। एक रिपोर्ट हम लोगों को कल रात को बहुत देर से और आज प्रातःकाल मिली है। हममें से बहुतों को रिपोर्ट पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है। जो सुझाव मैं रखना चाहता हूं वह यह है। सभा आज दोपहर बाद न बैठे ताकि हममें से जिनको नियमों में दिलचस्पी है उन्हें इस बात का मौका मिल सके कि वे आपस में मिल सकें और अपने संशोधनों को छांटकर बड़े-बड़े संशोधनों को चुन लें जिन पर सभा में कल प्रातः विचार किया जाये। अगर यह तरीका अख्तियार करना हमारे लिए सम्भव हो तो बहुत-से संशोधन जो यहां आज पेश किये जा सकते हैं, प्रारम्भिक स्थिति में ही तय हो जायें और कल हम सारा काम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज दोपहर बाद हम लोग समवेत न हों बल्कि कल सवेरे बैठें।

***सभापतिः** व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस हालत में हम नियमों को निपटाने में ही कल का दिन लगा सकते हैं परसों हमें कई समितियां चुननी हैं जिनका नियमों में उल्लेख जरूरी है। अगर सभा समझती है कि वह कल और परसों के भीतर नियमों को देख जायेगी और उनको पास कर देगी तो निजी रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं नहीं समझता कि सभा की ओर से कोई भी इसका जिम्मा लेगा कि हम लोग काम समाप्त कर देंगे।

***एक सदस्यः** हम लोग कल बैठेंगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, नियम मुझे आज सवेरे ही मिले हैं। मैं इनको पढ़ चुका हूं और देखता हूं कि बहुत से नियम ऐसे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम इसमें बढ़ा सकें। हां, नियम नं. 20, 23 और 23 (क) के कुछ विवादास्पद भागों में गम्भीर संशोधन के तौर पर हमें कुछ जोड़ना पड़ सकता है। इसलिए बैठक स्थगित करने की मांग पेश कर हमें समय न बर्बाद करना चाहिए। कहावत है, कल कभी नहीं आता, आइये आज ही काम में लग जायें।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि अब इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। जो भी हो हमें नियमों को पढ़ जाना है ताकि हम भी माननीय सदस्य के निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

***श्री के.एम. मुंशीः** सभापति जी, माननीय मित्र श्री शिवाराव के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। जो भी हो, सभा स्थगित करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कल हमारी बैठक होगी और उसमें स्वतंत्रतापूर्वक पूर्ण वाद-विवाद होगा जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, प्रायः सभी नियम सावधानी से बनाये गये हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ त्रुटियां हों जिनको सुधारना हो। केवल विवाद-मूलक और सिद्धान्त-सम्बन्धी बातों में ही समय लगेगा। हम एक-एक नियम उठाकर उस पर विचार करते जायेंगे और अगर कोई विवाद नहीं है तो हम उन्हें मंजूर करते जायेंगे। मेरा कथन है कि नियमों को निपटाने का यही तरीका है जिसमें कम-से-कम समय लगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** सभापति जी, मेरे माननीय मित्र श्री के.एम. मुंशी थोड़ी देर खड़ा होकर एक-एक नियम पढ़ते जायेंगे और यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हम तुरन्त उसे पास कर देंगे और फिर दूसरा नियम लेंगे। जो नियम विवादास्पद होंगे उन्हें कल के लिए छोड़ देंगे। उस समय तक हमें मालूम हो जायेगा कि कोई संशोधन जरूरी है या नहीं।

***सभापतिः** तो क्या मैं यह मान लूं कि सभा की यही इच्छा है कि हम नियमों पर विचार जारी रखें?

***बहुत से सदस्यः** हां।

***सभापतिः** विरोध में कौन है?

(कोई नहीं)

***सभापतिः** विचारार्थ नियमों को हम लेंगे। चूंकि एक बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। हम $2^{1}/_{2}$ या 3 बजे काम शुरू करेंगे।

***बहुतेरे सदस्यः** 3 बजे।

***श्री के.एम. मुंशीः** इस आधे घंटे में हम लोग कुछ नियम निपटा सकते हैं।

***सभापतिः** हम 3 बजे काम शुरू करेंगे और बन्द कमरे में। यह सभा समिति बन जायेगी और 3 बजे बैठेगी।

इसके बाद सभा दोपहर के भोजन के लिए 3 बजे तक स्थगित हुई।

सभा भोजनोपरान्त पुनः 3 बजे चेयरमैन (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में बैठी। अब कार्यवाही बन्द कमरे में संचालित हुई।

***सभापतिः** श्री मुंशी।

नियम 1

बन्द कमरे की कार्रवाई

***श्री के.एम. मुंशीः** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा नियम नं. 1 को स्वीकार करती है।

***सभापतिः** मैं समझता हूं नियम नं. 1 पर कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): सभापति जी, नियम 2(क) में यह कहा गया है-'असेम्बली' का मतलब.....।

***श्री के.एम. मुंशीः** हम लोग नियम 1 पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं नियम 1 पर कोई आपत्ति नहीं है।

***माननीय श्री बसन्तकुमार दास** (आसाम : जनरल): मैं सविनय यह बताना

चाहता हूं नियम 1 पर अभी नहीं विचार किया जा सकता। इस पर अन्त में विचार करना चाहिए जब अन्य सारे नियम तय कर दिये जायें।

***एक सदस्यः** ''कहा जायेगा'' की जगह ''कहा जा सकता है'' रखना चाहिए।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

नियम 1 स्वीकृत हुआ।

नियम 2

***श्री के.एम. मुंशीः** अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 2 स्वीकार किया जाये।

***श्री सी. सुब्रह्मण्यम्** (मद्रास : जनरल): मैं समझता हूं कि ''प्रमुख सम्प्रदाय'' इन शब्दों की हमें व्याख्या कर देनी चाहिए क्योंकि ये शब्द नियम 23 में प्रयुक्त हुए हैं। केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैराग्राफ 18 में कहा गया है:

> ''हिन्दुस्तान के इन तीन प्रधान सम्प्रदायों को मान लेना काफी है—जनरल, मुस्लिम और सिख जनरल में मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी शामिल हैं।''

इसलिए जब हम 'प्रमुख सम्प्रदायों' का उल्लेख करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है? हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों से या जनरल और मुस्लिम सम्प्रदायों से? और फिर क्या 'हिन्दू' शब्द में परिगणित जातियां भी शामिल हैं? इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ''प्रधान सम्प्रदायों'' की यों व्याख्या कर दी जाये कि इसका मतलब मुसलमानों और हिन्दुओं से जिसमें परिगणित जातियां भी शामिल हैं अथवा यदि आप ठीक समझें तो यों भी मुसलमान तथा 'जनरल सम्प्रदाय' जो मुसलमान और सिख नहीं हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** 'प्रमुख सम्प्रदाय' ये शब्द केवल नियम नं. 1 में आये हैं और यह कहीं अच्छा होगा कि बजाय इनकी परिभाषा करने के इन्हें यहां उसी तरह रहने दिया जाये जिस तरह केबिनेट मिशन के वक्तव्य में इनका प्रयोग हुआ है।

***श्री सी. सुब्रह्मण्यम्:** 'मुसलमान और जनरल सम्प्रदाय' इसका आखिर अर्थ क्या है? हमें यहां इसका निर्णय करना होगा। यदि यहां हम उन शब्दों की व्याख्या नहीं कर देते तो आगे चलकर जरूर गड़बड़ी पैदा होगी।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र वक्तव्य के पैरा 18 और 19 (7) का जिक्र कर रहे हैं जहां सम्प्रदायों का उल्लेख आया है। उक्त दोनों स्थानों की भाषा में अन्तर है। पैरा 18 में यह कहा गया है:

> ''उन कामों के लिए हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान के इन तीन प्रमुख सम्प्रदायों को मान लेना काफी है, जनरल, मुस्लिम और सिख।''
>
> पर पैरा 19 (7) में खास तौर पर दो प्रमुख सम्प्रदायों का ही उल्लेख

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

है। मैं समझता हूं कि केबिनेट मिशन ने जान-बूझकर यह भाषा व्यवहृत की है और दो प्रमुख सम्प्रदायों से केवल हिन्दू और मुसलमानों का ही उल्लेख किया जा सकता है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति जी, नियम 2 के सम्बन्ध में कुछ बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं सादर यह सुझाव रखता हूं कि 'चेयरमैन' शब्द के पहले 'प्रेसीडेंट' शब्द की परिभाषा की जाये। यदि स्थायी चेयरमैन को प्रेसीडेंट कहकर सम्बोधित करना है तो मेरा यह निवेदन है कि 'चेयरमैन' पहले प्रेसीडेंट' रखा जाये क्योंकि इस हाल में 'चेयरमैन' का अर्थ प्रेसीडेंट के अलावा और किसी व्यक्ति से होगा जो सभा का तात्कालिक सभापतित्व करेगा। यह तो हुई पहली बात। इसको और साफ किये देता हूं। यदि किसी समय सभापति कहीं अन्यत्र चले गये हों तो तत्कालीन सभापति को क्या कहियेगा। प्रेसीडेंट कहा जायेगा या चेयरमैन?

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): यह तो वर्णानुक्रम से दिया हुआ है।

श्री एच.वी. कामत: किसी भी अनुक्रम से दिया हो पर इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्योंकि आगे चलकर अध्याय 5 में नियम 3 और उपनियम (1) में 13 पृष्ठ पर हम यह पाते हैं:

''5 उप-सभापतियों में से 2 परिषद् द्वारा इसके सदस्यों में से चुने जायेंगे।''

और उपनियम (2) कहता है:

'सेक्शनों द्वारा चुने हुए चेयरमैन पद की हैसियत से परिषद् के उप-सभापति होंगे।'

अब जब सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व कर रहे हों तो उन्हें क्या कहा जायेगा ''चेयरमैन'' या ''प्रेसीडेंट''?

***एक सदस्य:** वह चेयरमैन होंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** यानी सभापति की गैर-हाजिरी में सभापतित्व करने वाले सभी सज्जन 'चेयरमैन' कहे जायेंगे न कि 'प्रेसीडेंट'। इसलिए चेयरमैन का मतलब है प्रेसीडेंट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से। मेरा कहना यह है कि 'चेयरमैन' की यों व्याख्या कर देनी चाहिए कि प्रेसीडेंट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति। स्थायी चेयरमैन मैं समझता हूं सभापति ही है।

***सभापति:** आपका सुझाव क्या है?

***श्री एच.वी. कामत:** मेरा सुझाव यह है कि 'चेयरमैन' शब्द की साफ-साफ यों व्याख्या कर दी जाये कि इससे सभापति, जो स्थायी चेयरमैन हैं, उनके सिवाय अन्य व्यक्ति समझा जायेगा।

मेरा दूसरा मन्तव्य यह है कि (घ) में जिसकी इबारत यों है:

''प्रेसीडेंट का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे परिषद् ने अपने प्रारम्भिक अधिवेशन में कैबिनेट-मिशन के वक्तव्य में की हुई व्यवस्था के अनुसार बतौर चेयरमैन के चुना हो और वह व्यक्ति जो इस पद पर उक्त व्यक्ति के बाद आसीन हो''

'स्थायी' शब्द जोड़ दिया जाये ताकि यह यों पढ़ा जाये ''जिसे परिषद् ने..... बतौर स्थायी चेयरमैन के चुना हो इत्यादि।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत:** जो भी हो मैं अपने इस मंतव्य पर आग्रह नहीं करता।

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति जी, 'चेयरमैन' शब्द की साफ-साफ व्याख्या कर दी गई है और समूची नियमावली में 'चेयरमैन' का मतलब है उस व्यक्ति से जो परिषद् का या इसके सेक्शनों या समितियों का तात्कालिक चेयरमैन हो। प्रेसीडेंट या सभापति शब्द से वही व्यक्ति विशेष सूचित होगा जो परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में सभापति चुना गया हो। भेद स्पष्ट है और मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि उसको लेकर कोई गड़बड़ी पैदा हो। यदि माननीय सदस्य श्री कामत का संशोधन हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमें नियमों में अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे जो इस भेद के आधार पर बनाये गये हैं इसके अलावा यह बिल्कुल अनावश्यक है—मेरा मतलब है 'स्थायी' शब्द—क्योंकि स्थायी बोल कर कोई चीज नहीं है।

***सभापति:** श्री अनन्तशयनम् आयंगर और काला वेंकटराव का एक जबानी संशोधन हैं और वह यह कि उपपैरा (घ) 'जिसमें शामिल हैं' इतना जोड़ दिया जाये।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं इस पर जोर नहीं देता। मैं नहीं समझता कि यह जरूरी है।

***सभापति:** तो आप इसे रखना नहीं चाहते?

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर:** नहीं।

***सभापति:** श्री दिवाकर, आप एक संशोधन पेश करना चाहते थे। क्या उसे पेश करना चाहते हैं?

***श्री आर.आर. दिवाकर** (बम्बई : जनरल): हां श्रीमान्, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि ''प्रेसीडेंट का मतलब है वह व्यक्ति जो परिषद् द्वारा इसकी प्रारम्भिक बैठक में विधान-परिषद् का चेयरमैन चुना जाये।'' इससे मतलब और साफ हो जायेगा।

***श्री के.एम. मुंशी:** यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है क्योंकि व्यवहृत शब्द ये हैं:

''जिसे परिषद् ने अपनी प्रारम्भिक बैठक में बतौर चेयरमैन चुना हो।'' इसका यही मतलब हो सकता है कि परिषद् का चेयरमैन। परिषद् के अलावा वह और किसी का चेयरमैन हो, यह अर्थ हो ही नहीं सकता।

***सभापति:** फिर मैं यह मान लेता हूं कि नियम पर कोई आपत्ति नहीं है। यह स्वीकार किया गया।

नियम 2 स्वीकृत हुआ।

नियम 3

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''सदस्यों की भरती तथा स्थानों का रिक्त होना'' शीर्षक दूसरा अध्याय स्वीकार किया जाये।

***एक सदस्य:** श्रीमान्, सिलसिलेवार एक-एक भाग पेश कीजिए।

***श्री के.एम. मुंशी:** बहुत अच्छा। सभापतिजी मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 3 स्वीकार किया जाये।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): आदरणीय सभापति महोदय, क्या मैं एक संशोधन रख सकता हूं?

***सभापति:** हां।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** संशोधन यह है कि नियम 3 में ''सभापति की मौजूदगी में'' इन शब्दों के बाद इतना जोड़ दिया जाये ''या किसी उप-सभापति की मौजूदगी में''।

***सदस्यगण:** नहीं-नहीं।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** फिर मैं संशोधन उठा लेता हूं।

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): मेरा प्रस्ताव है कि नियम 3 में से ये शब्द हटा दिए जायें ''यदि सभापति की मौजूदगी में परिषद् की बैठक न होती हो'' और ''परिषद्'' शब्द के बाद विराम चिह्न रख दिया जाये।

सभापतिजी, सभी सभाओं में यही प्रथा है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर और परिचय-पत्र की पेश समूची सभा के समक्ष किया जाता है न कि केवल सभापति के समक्ष। इसलिए यह शब्द हटा दिये जा सकते हैं।

***एक सदस्य:** नहीं, प्रांतीय धारा सभाओं में सदस्य सभा की गैरहाजिरी में केवल सभापति के समक्ष ही हस्ताक्षर करते थे। मान लीजिये कि सभा की बैठक नहीं हो रही है तो क्या आपका यह मतलब है कि एक सदस्य के हस्ताक्षर के लिए समूची सभा की बैठक बुलानी चाहिए?

***श्री काला वेंकटराव** (मद्रास : जनरल): सभापति जी, आमतौर पर यही रीति है। कहीं भी यह रीति नहीं है कि एक सदस्य को जो सभा के खुले अधिवेशन में आना नहीं पसंद करता इस बात की इजाजत दी जाये कि वह सदस्यों के पीठ पीछे सभापति के सामने अपना परिचय-पत्र पेश कर हस्ताक्षर करे और इस तरह जब चाहे मुख्य सभा का तो वह बहिष्कार करे और सेक्शनों में शामिल हो। मेरा यही कहना है।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरा निवेदन है कि इस भाग में ''Until he has'' के बाद दूसरी पंक्ति में ''presented his credentials and'' यह और जोड़ दिया जाये।

***श्री के.एम. मुंशी:** प्रथम संशोधन के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक है कि अन्तिम भाग रखा जाये। यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो यह असम्भव होगा कि एक सदस्य को दाखिल करने के लिए समूची सभा की बैठक बुलाई जाये। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि हो सकता है जब तक स्थान रिक्त होते रहें।

***श्री काला वेंकटराव:** आखिर मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में क्या होगा? क्या वे यहां न आयें और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करें?

***श्री के.एम. मुंशी:** यदि असेम्बली का अधिवेशन होता हो तो वे उसके सामने हस्ताक्षर करें। अन्यथा यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो वे सभापति के समक्ष जाकर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसमें तो कोई रुकावट नहीं हैं। यही नियम का मतलब है।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना है कि (परिचय-पत्र) 'Credential' शब्द जानबूझ कर नहीं रखा गया है क्योंकि कई सदस्य उसे साथ नहीं लाये हैं या खो दिये हैं। इसलिए मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सदस्य केवल सभापति के सामने रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर कर सकता है। बंगाल की धारा-सभा में यही विधि बरती जाती हे।

***श्री एच.वी. कामत:** यहां परिचय-पत्र की पेशी का कोई उल्लेख नहीं है। एजेंडा (कार्यक्रम) से आज यह मालूम है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के पहले सदस्यों को अपना परिचय-पत्र अवश्य पेश करना होगा और यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि सदस्यों को अपना परिचय-पत्र पेश करना ही होगा।

***एक सदस्य:** जो सदस्य बोलना चाहते हों उन्हें माइक 'Mike'–(ध्वनि-विस्तार-यंत्र) पर आना चाहिए अन्यथा कार्रवाई हम नहीं समझ सकते।

***सभापति:** दो संशोधन रखे गये हैं। मैं उन पर मत लेता हूं। पहला संशोधन श्री कामत का इस आशय का है कि दूसरी पंक्ति में 'has' शब्द के बाद presented his credential जोड़ दिया जाये।

यह संशोधन नामंजूर हुआ।

***सभापतिः** दूसरा संशोधन यों है। अन्त के ये शब्द हटा दिये जाये:

'या यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सभापति की उपस्थिति में'

यह संशोधन सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

नियम 3 मंजूर हुआ।

नियम 4

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 4 स्वीकार किया जाये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): मैं यह प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़कर उसे 4 (क) कर दिया जाये:

''यदि कोई सदस्य असेम्बली की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है बशर्ते कि सभा ने मत लेकर उसे अनुपस्थित रहने का अवकाश न दिया हो या किसी प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य बन वह भारत से कहीं बाहर न गया हो।''

यदि बीमारी या ऐसे ही कारण से कोई सदस्य अनुपस्थित है तो सभा उसे अवकाश दे सकती है। और अगर कोई सदस्य सार्वजनिक काम के लिए प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य होकर भारत के बाहर जाता है तो उसे इस पाबन्दी की छूट दी जायेगी क्योंकि उस हालत में सम्भव है वह नियमित रूप से असेम्बली में मौजूद न रह सके और दो महीनों से भी ज्यादा गैर हाजिर रह जाये। मेरा संशोधन सहज ग्राह्य है और स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा कुछ सदस्य गैर हाजिर रहना पसंद करेंगे और सभा के सदस्य बने रहेंगे।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): असेम्बली का प्रारम्भ से अन्त तक एक ही अधिवेशन होगा। बीच-बीच में व्यवधान होता रहेगा या सभा स्थगित होती रहेगी पर मैं नहीं समझता कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जायेगी या इसका दूसरा अधिवेशन होगा। इसलिए यह संशोधन नियम के प्रतिकूल है।

***श्री राजकृष्ण बोस** (उड़ीसा : जनरल): श्री सिधवा ने वृद्धिकरण का जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि प्रान्तों के कई प्रधानमंत्री इस असेम्बली के सदस्य हैं और अपने-अपने प्रांत के आवश्यक कामों के कारण हो सकता है कि लगातार दो बैठकों में शामिल रहना उन्हें कठिन मालूम पड़े।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है।

***श्री राजकृष्ण बोसः** आपने सिर्फ बीमारी का जिक्र किया है।

***श्री आर.के. सिधवाः** केवल कारण स्वरूप मैंने बीमारी का उल्लेख किया है। ''बीमारी या ऐसे ही कारण से'' कहकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है।

***श्री राजकृष्ण बोसः** स्पष्टरूप से इसकी व्यवस्था का उल्लेख होना चाहिए। जो कुछ मैं चाहता हूं वह यह है कि अगर कोई सदस्य जरूरी सरकारी काम से रुक जाता है तो वह असेम्बली का सदस्य बना रहेगा यद्यपि असेम्बली की लगातार दो बैठकों में वह शरीक न रहेगा।

***डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जीः** 1935 के एक्ट के अनुसार अनुपस्थिति की मियाद 60 दिनों की है। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो वह सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि सम्बन्धित प्रांतीय धारा-सभा उसकी अनुपस्थिति स्वीकार या क्षमा न कर दे। इसलिए यहां भी समय की मियाद होनी चाहिए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** यह नियम कहां है कि लगातार 60 दिनों तक उपस्थिति लाजिमी है? साल में 60 या इससे ज्यादा दिन केन्द्रीय धारा-सभा की बैठक नहीं होती।

***डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जीः** केन्द्रीय धारा-सभा में 1919 के एक्ट के अनुसार काम होता है और मैं बात कर रहा हूं 1935 के एक्ट की।

***एक सदस्यः** हम कार्यवाही को नहीं समझ सकते जब तक कि सदस्य माइक (ध्वनि-विस्तार-यंत्र) पर न आवें।

***सभापतिः** मैं नहीं समझता कि आपका कुछ ज्यादा हर्ज हो पाया है। श्री सिधवा का संशोधन यह है कि अगर कोई सदस्य सभा से अवकाश लिये बिना लगातार दो अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी जगह खाली समझी जायेगी।

***माननीय पं. रविशंकर शुक्ल** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): मुस्लिम लोग वाले सदस्यों का क्या होगा अगर बिना अवकाश लिये वे अनुपस्थित रहते हैं?

***एक सदस्यः** मैं समझता हूं कि वे भी अयोग्य करार दिये जायेंगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्री सन्तानम् के इस वैधानिक प्रश्न के बारे में क्या तय हुआ कि असेम्बली का एक ही अधिवेशन है, ज्यादा नहीं? जब सस्भा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है तभी उसका दूसरा अधि वेशन होता है। केन्द्रीय धारा-सभा जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है तो गवर्नर जनरल उसका दूसरा अधिवेशन बुलाते हैं। यहां ऐसी कोई बात नहीं है। असेम्बली का यह अधिवेशन तब तक चालू रहेगा जब तक कि यह भंग नहीं कर दी जाती और इसलिए यह संशोधन नियम के खिलाफ है।

***सभापतिः** मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा होगा कि इस वैधानिक प्रश्न पर आदेश पाने के बजाय हम संशोधन को ही निपटा दें।

मैं संशोधन पर मत लेता हूं।

संशोधन नामंजूर हुआ।

नियम 4 स्वीकार किया गया।

नियम 5

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 5 स्वीकार किया जाये।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** सभापति महोदय, नियम नं. 5 के उपनियम (3) पर मुझे दो आपत्तियां हैं। इसमें कहा गया है कि सभापति सम्बन्धित प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष से किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए लिखित अनुरोध करेंगे। परन्तु यदि अध्यक्ष ने चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार किया तो क्या किया जायेगा? मैं जानता हूं कि ऐसे भी प्रान्त हैं जहां के अध्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल प्रान्त के ही अध्यक्ष किसी सदस्य के चुनाव के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की बैठक बुलाने से इन्कार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

***श्री के.एम. मुंशी:** माननीय सदस्य ने जिस परिस्थिति का जिक्र किया है उसके निर्वाह के लिए नियम 63 है। यह कहता है:

> ''जिस किसी भी बात की व्यवस्था इन नियमों में नहीं की गई है उसके सम्बन्ध में कठिनाई दूर करने के लिए सभापति ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसे वह ठीक समझते हों।''

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** जैसा कि उपनियम (6) में कहा गया है यह यों होना चाहिए–

> ''उपनियम (3) में उल्लिखित अनुरोध पाने के बाद यथा सम्भव शीघ''

***श्री के.एम. मुंशी:** वस्तुत: इससे कोई दिक्कत न पेश होगी। यों ही यह महसूस किया जायेगा कि विलम्ब ऐसा है कि वह नियम 63 में दी हुई कठिनाई बन जाता है, वह नियम लागू हो जायेगा।

***एक सदस्य:** आखिर उस मियाद का जिक्र क्यों नहीं कर देते जिसके भीतर नियम 63 लागू हो जायेगा?

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि दूसरी पंक्ति में, नियम 5 के उपनियम (1) में (या, अन्यथा) 'or, otherwise'' शब्द हटा दिये जायें। यहां ''or, otherwise'' शब्द रखकर आप एक ऐसे रिक्त स्थान की कल्पना करते हैं जो न तो मृत्यु और न त्याग-पत्र के कारण ही रिक्त हुआ है। और सदस्य को हटाने की व्यवस्था को अभी सभा ने नामंजूर कर दिया है।

***सभापति:** निर्वाचन सम्बन्धी आवेदन-पत्र के फलस्वरूप भी स्थान रिक्त हो सकता है। ऐसी ही स्थिति के निर्वाह के लिए शायद ''or, otherwise'' शब्द रखे गये हैं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं अपनी भूल मंजूर करता हूं, सभापति जी।

मेरा दूसरा संशोधन उपनियम (4) में है। मेरा सुझाव है कि तीसरी पंक्ति में 'चुनाव' (election) शब्द के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें–''जहां तक हो सके उसी सम्प्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती सदस्य था'' (As far as practicable by a member belonging to the community to which his previous incumbent belonged) जिस बात ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया वह यह है। कांग्रेस के प्रभाव से भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् का सदस्य चुनवाकर हमने सिवा मुसलमानों के अन्य सभी सम्प्रदायों की सद्भावना प्राप्त कर ली है। अब अगर कोई स्थान खाली होता है और हम उस जगह पर अन्य सम्प्रदाय के सदस्य को बैठाने की कोशिश करते हैं तो हम सारी प्राप्त सद्भावना को खो बैठेंगे। इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

***श्री आर.के. सिधवा:** सभापति जी, इस नियम को लेकर मेरा भी एक संशोधन है। मेरा सुझाव है कि पैराग्राफ 5 (3) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें, ''और त्याग-पत्र देने की तिथि से दो माह के बाद नहीं'' (and not later than two months from the date of the resignation) मूल में ये शब्द हैं ''यथोचित रीति से जहां तक साध्य हो शीघ्र'' (as soon as may reasonably be practicable) मैं समझता हूं कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक अवधि जरूर निर्धारित कर देनी चाहिए। दो महीने का समय उसके लिए आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि उपनियम (3) को (3) (क) बना देने के बाद बतौर (3) (ख) के इतना और बढ़ा दिया जाये:

> ''यदि सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति न की जा सके या चुनाव न किया जा सके तो उपनियम (5), (6), (7) और (8) में दी हुई व्यवस्था अपनाई जायेगी''। मान लीजिए कि मुस्लिम लीग असेम्बली में न शामिल होने का फैसला करती है और बंगाल या सिंध में कोई जगह खाली होती है तो सम्भवत: साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से जगह पूरी करने के लिए कोई कार्रवाई न की जायेगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे कि साधारण निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य अगर आना चाहे तो उस क्षेत्र द्वारा ऐसा करने से वह रोक न दिया जाये। इसलिये मेरी समझ मे ऐसी व्यवस्था नितान्त आवश्यक है यदि वह असेम्बली में आयें और सहयोग दें तो बात दूसरी है।

***एक सदस्य:** मैं समझता हूं कि नियम 5 के उपनियम (3) की प्रथम दो पंक्तियों पढ़ने में ठीक नहीं मालूम पड़ती हैं। मेरा सुझाव है कि इन शब्दों की जगह कि ''जब मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण अथवा अन्यथा कोई सदस्य नहीं रह जाता'' ये शब्द रखे जाये ''मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण अथवा अन्यथा यदि कोई स्थान रिक्त हो जाये''।

***सभापतिः** माननीय सदस्य कृपा कर अपने संशोधन की एक प्रति मुझे दे दें।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, उपनियम (5) की तीसरी पंक्ति में मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है—''ऐसा भारतीय जो किसी देशी रियासत का अधिवासी हो गया हो, विशेष रूप से देशी रियासतों को दी हुई 93 सीटों में से किसी सीट पर मनोनीत या निर्वाचित किया जायेगा।''

ब्रिटिश योजना द्वारा यह तय हो चुका है कि 93 सीटें रियासतों के निवासियों को दी जा सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस असेम्बली के लिए किये गये गत निर्वाचन में रियासतों के बहुत से लोगों ने प्रांतीय धारा-सभाओं के जरिये यहां आने की कोशिश की। चूंकि रियासतों का चुनाव अभी भी बाकी है यह देखने में आयेगा कि प्रांतों के बहुत से लोग इस बात को कोशिश करेंगे कि रियासतों में जाकर निर्वाचित हो जायें। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो प्रांतीय धारा-सभाओं के जरिये रियासतों से यहां निर्वाचित हो चुके हैं। भविष्य में अगर स्थान खाली हों तो रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजें और प्रांत अपने अधिवासियों को।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः** सभापति जी, उपनियम (5) में ''भारतीय'' शब्द के बाद मैं ये शब्द जोड़ना चाहता हूं—''जो 25 वर्ष से कम का न हो''। केन्द्रीय धारा-सभा और प्रांतीय धारा-सभाओं के सम्बन्ध में यह बात स्वीकृत है।

श्री एच.वी. कामतः मेरा कहना है कि ये शब्द इस नियम के उपनियम (4) में रखे जायें। मेरे मित्र श्री रोहिणीकुमार चौधरी ने इसी आशय का संशोधन रखा था। मैं एक कदम और आगे बढ़कर यह रखना चाहता हूं:

> ''रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव द्वारा उसी सम्प्रदाय के सदस्य के द्वारा की जायेगी जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती सदस्य था।'' सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमने इस विधान-परिषद् के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति स्वीकार कर ली है और यह वांछनीय है और सम्भवतः आवश्यक भी हो सकता है कि जब भी स्थान रिक्त हो हम इसी पद्धति को बरतें। और अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।''

श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः सभापति जी, उपनियम 7 में मैं एक और व्यवस्था जोड़ना चाहता हूं:

> ''मगर फिर शर्त यह है कि अगर वोट (मत) रजिस्ट्री डाक से भेजे गये हों तो दस्तखतों की तसदीक प्रांतीय धारा-सभा के किसी सदस्य द्वारा अथवा न्याय या प्रबंध विभाग के किसी गजटेड अफसर द्वारा की जाये।''

पहली व्यवस्था में कहा गया है कि ''जब असेम्बली की बैठक न होती हो तो मतदाता चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर मत दे सकता है या रजिस्ट्री डाक से अपना मत भेज सकता है'', यदि वोट रजिस्ट्री से भेजा गया हो तो मतदाता के दस्तखत की तसदीक की जानी चाहिए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। वह चाहते थे कि मतपत्र की तसदीक किसी गजटेड अफसर से करा ली जाये। इसके सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मतपत्र बिल्कुल गोपनीय चीज है और इस बात पर जोर देना कि उसकी तसदीक की जाये, बिलकुल अप्रासंगिक है। जब भी मतपत्र डाक से भेजा जाता है तो उसके साथ एक घोषणा-पत्र भी रहता है और धारा-सभा के किसी सदस्य के सामने इस बात की तसदीक की जाती है कि सदस्य ने ही दस्तखत किया है। मतपत्र दूसरे लिफाफे में रखा जाता है और उस पर ''गोपनीय'' लिख दिया जाता है। यही बात है जो मेरे मित्र चाहते हैं और मैं समझता हूं कि सभा इसे अवश्य स्वीकार करेगी। मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं पसंद करूंगा कि प्रत्येक संशोधन पढ़ दिया जाये, क्योंकि मेरे पास इसकी नकल नहीं है।

***सभापतिः** मैं आपको बताये देता हूं। वाक्यांश (3) में देखिये। ''जब कोई सदस्य, सदस्य न रह जाये'' इसकी जगह संशोधन कहता है कि ये शब्द रखे जायें–''जब कोई स्थान रिक्त हो।''

***श्री के.एम. मुंशीः** मुझे यह संशोधन मंजूर है।

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): बंगाल के परिगणित जाति के एक सदस्य का देहावसान हो गया है। क्या इन नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था रखी जायेगी जिससे परिगणित जाति का ही कोई सदस्य उनकी जगह आवे? अन्यथा इस स्थान पर कोई सवर्ण हिन्दू चला जायेगा।

***सभापतिः** एक संशोधन है जिसमें यह बात आ जाती है। फिर एक संशोधन के जरिये यह सुझाव रखा गया है–''दो माह से अधिक देर न करके।''

***एक सदस्यः** ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जो हमारे काबू से बाहर हो।

***श्री के.एम. मुंशीः** इस तरह रखना तो एक जबरदस्त पाबंदी होगी। एक-न-एक कठिनाई तो आ ही सकती है और उस हालत में हमें नियमों में संशोधन करने पड़ेंगे। फिलहाल, इसे ज्यों-का-त्यों छोड़ देना चाहिए।

***सभापतिः** मैं इस संशोधन को सामने रखता हूं। संशोधन के जरिये यह सुझाव रखा गया है कि वाक्यांश के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:–''दो माह से अधिक देर न करके''।

संशोधन नामंजूर हुआ।

***सभापतिः** उपनियम (4) के सम्बन्ध में यह संशोधन है कि उसकी तीसरी पंक्ति में ''चुनाव द्वारा पूर्ति की जायेगी'' की जगह यह रखा जाये:–

''जहां तक सम्भव होगा उसी सम्प्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती सदस्य था।''

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल की योजना के अनुसार हमारे सामने तीन सम्प्रदाय हैं। नियम के उद्देश्य को देखते हुए आप किसी दूसरे सम्प्रदाय का समावेश नहीं कर सकते। यह तो बुद्धि की बात है। हम इस सिद्धान्त पर चलेंगे कि अगर परिगणित जाति का कोई सदस्य हट जाता है तो हम उसकी जगह उसी के सम्प्रदाय के किसी सदस्य को सभा में लेंगे। हमें विश्वास है कि जिन्हें परिगणित जातियों से दिलचस्पी है वे ऐसा ही करेंगे पर नियम-निर्वाह के लिए हम किसी चौथे सम्प्रदाय की सृष्टि यहां नहीं कर सकते।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मेरा कहना है कि सदस्यगण भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के तीन सम्प्रदायों में से किसी सम्प्रदाय द्वारा चुने गये हैं और जैसा कि मेरे माननीय मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी ने फरमाया है, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि निर्वाचक उस सम्प्रदाय का पूर्ववत् विचार क्यों न करेंगे। परन्तु यदि हम इस तरह का बन्धन-मूलक नियम बना देंगे तो परिणाम यह होगा कि पहले तो आपने उस सम्प्रदाय के किसी सदस्य को इस बिनां पर चुना था कि उसका स्थान था और वह वास्तविक प्रतिनिधि होने की हैसियत रखता था पर अब उसके रिक्त स्थान पर आप उसी सम्प्रदाय के किसी-न-किसी व्यक्ति को बिठायेंगे चाहे वह प्रतिनिधि होने योग्य न हो और उससे भी योग्य प्रतिनिधि दूसरे सम्प्रदाय का मिलता हो। इसलिए इस तरह का नियंत्रण-मूलक वर्गीकरण ठीक न होगा। यह बात तो जनरल सम्प्रदाय पर छोड़ देनी चाहिए कि वह अपने विवेक से जो उचित समझे करें।

***श्री. बी. गोपाल रेड्डी** (मद्रास : जनरल): इससे तो अल्पसंख्यकों के हित को नुकसान पहुंचेगा। मान लीजिए मद्रास प्रांत की धारा-सभा में ईसाई सम्प्रदाय के आठ प्रतिनिधि हैं उन्हें अपने बल पर दो सदस्य विधान-परिषद् में भेजने का अधिकार है। अब यदि उनका कोई स्थान खाली होता है तो सम्भव है कि कोई सवर्ण हिन्दू उस पर आ जाये और ईसाइयों का एक ही प्रतिनिधि यहां रह जाये। इस नियम से तो आप ''एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व'' के सिद्धांत के वास्तविक उद्देश्य का ही हनन कर देते हैं।

***श्री के.एम. मुंशी:** माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि वक्तव्य के उद्देश्य को दृष्टि में रख कर उन्हें आम जाति (जनरल कम्युनिटी) में शामिल कर दिया गया है और जनरल कम्युनिटी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर सदा ध्यान रखे कि उसके प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन नामंजूर हुआ।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त का संशोधन है कि उपखंड (5) में यह जोड़ दिया जाये ''जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम न हो''। इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह जमाना युवकों का है। व्यर्थ बूढ़ों को हमें यहां नहीं लाना चाहिए। आज तो 20 वर्ष का युवक भी उतना ही राजनीतिज्ञ है जितना 25 वर्ष का। युवकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध न लगाना चाहिए कि वे विधान-परिषद् में न आ सकें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन नामंजूर हुआ।

***श्री के.एम. मुंशी:** जहां तक श्री मुनिस्वामी पिल्लई के संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि विधान-परिषद् में दोनों के ही—ब्रिटिश भारत तथा रियासतो के—प्रतिनिधि यहां आये हैं और हो सकता है वे रियासत के बाशिन्दे हों या रियासत के बाहर के। मैं नहीं समझता कि हम ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में उतना अन्तर क्यों पैदा करें। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन गिर गया।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्री सिधवा का संशोधन है खंड (3) को लेकर। उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि ''यथासंभव शीघ्र'' इन शब्दों से स्थिति साफ हो जाती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह बात सभापति पर छोड़ देनी चाहिए कि ''यथासम्भव शीघ्र'' का क्या अर्थ है और देर की वजह से कठिनाई तो नहीं होती। यह ठीक न होगा कि यहां कोई कठिन पाबंदी रखी जाये। मैं इसका विरोध करता हूं।

यह संशोधन गिर गया।

***श्री के.एम. मुंशी:** उपनियम (4) में मिस्टर दत्त का संशोधन है कि मत-पत्र रजिस्ट्री डाक से मुहरबंद लिफाफे में मय दो गजटेड अफसरों के दस्तखतशुदा एक घोषणा-पत्र के साथ भेजे जायें। इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह सिद्धांत ठीक है और वैधानिक सलाहकार की मदद से जब उसका मसविदा तैयार होकर आयेगा तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** बाद में आने वाले इस आशय के वाक्य-खंडों से कि इस सम्बन्ध में प्रांतीय धारा-सभाओं के नियम लागू होंगे, इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

***श्री के.एम. मुंशी:** या स्थायी आज्ञाओं के जरिये भी यह किया जा सकता है। नियमों में इसका उल्लेख जरूरी नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** सब बातों की व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते। इसलिए यह रखा गया है।

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि चुनावों के संबंध में वह स्थायी आज्ञायें जारी करें।

यह संशोधन नामंजूर हुआ।

***श्री सी.एम. पुनाका** (कुर्ग): सभापति महोदय, उपनियम (7) के प्रथम पैरा में मैं एक छोटे से शाब्दिक परिवर्तन का सुझाव रखना चाहता हूं। वह यह है कि इस पैरा के इन शब्दों में ''मगर शर्त यह है कि असेम्बली की बैठक न होती हो''। असेम्बली को हटाकर 'ऐसी असेम्बली' रखा जाये क्योंकि अन्य स्थल पर इस बात की व्याख्या कर दी गई है। असेम्बली का अर्थ है, भारतीय विधान-परिषद्। 'ऐसी असेम्बली' के रख देने से मतलब साफ हो जायेगा और कोई संदिग्धता न रह जायेगी।

***सभापति:** मिस्टर मुंशी इस संशोधन को स्वीकार करते हैं?

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति जी, 'सम्बन्धित असेम्बली' शब्द ज्यादा अच्छा होगा।

यह संशोधन मंजूर हुआ।

***सभापति:** मैं नहीं समझता कि खंड (8) में कोई संशोधन हमें रखना है। खंड (9) में भी कोई संशोधन नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** सभापति जी, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। उप-खंड (9) में, इस असेम्बली के सदस्य चुनने के उद्देश्य से यह कहा गया है कि प्रांतीय धारा सभाओं के चालू नियम यहां भी लागू होंगे। यहां ''निर्वाचनाधिकारी'' (रिटर्निंग आफीसर) का कहीं जिक्र नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रांतीय धारा-सभा के ही निर्वाचनाधिकारी क्या उस काम के लिए निर्वाचनाधिकारी रहेंगे? वे तो जिलों के कलेक्टर हुआ करते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष निर्वाचनाधिकारी होता है।

***श्री आर.के. सिधवा:** नहीं, यहां यह कहा गया है कि फिलहाल जो नियम प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में बरते जाते हैं वही यहां भी माने जायेंगे। इस काम के लिए प्रांतीय धारा-सभाओं में कोई नियम नहीं है।

***सभापति:** अवश्य कुछ नियम होंगे। प्रांतीय धारा सभाओं के द्वारा आखिर समितियां कैसे चुनी जाती हैं?

***श्री आर.के. सिधवा:** यह काम मंत्री करता है श्रीमान्।

***सभापति:** फिर हम इसे मंत्री पद छोड़ देते हैं। जो भी नियम वहां है वही यहां बरते जायेंगे।

***श्री अजीत प्रसाद जैन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, क्या यह उचित न होगा कि खंड (9) में यह बात साफ तौर पर कह दी जाये कि यहां ''एकांकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व'' के सिद्धांत से संबंध रखने वाले नियम ही लागू होंगे।

***सभापति:** हमने इसकी व्यवस्था कर दी है।

***श्री अजीत प्रसाद जैन:** इस खंड में तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रान्तीय असेम्बलियों में दो तरह के नियम हैं। एक तो एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर और दूसरा केवल साधारण बहुमत के आधार पर। अगर नियम इसी रूप में रखा गया तो इसके प्रारम्भिक शब्दों की वजह से सम्भवत: प्रांतीय धारा-सभा के नियमों के लागू होने की गुंजाइश न रह जाये पर साधारण बहुमत का नियम तो लागू हो सकता है। नियमों का जो आशय है उसमें ये लागू नहीं हो सकते। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उपनियम (4) और (9) परस्पर सम्बन्धित हैं एक में तो असल तजबीज है और दूसरे में केवल विधि बताई गई है। अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो–''save as otherwise provided'' इन प्रारम्भिक शब्दों के रखने की जरूरत न रह जायेगी।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** इस आपत्ति में कोई दम नहीं है, क्योंकि खंड (9) को खंड (4) के साथ पढ़ना होगा जिसमें एकाकी हस्तांतरित मत-पद्धति के द्वारा चुनाव की व्यवस्था रखी गई है और खंड (9) में इस जगह कहा गया है कि–

''इसको देखते हुए यह आपत्ति अग्राह्य है।''

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन नामंजूर हुआ।

***सभापति:** अब हम खंड (10) को लेते हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** सभापति जी, इस पर मैं कुछ और प्रकाश चाहता हूं। यह कहा गया है कि पहले के नियम कुर्ग के सम्बन्ध में लागू होंगे। ब्रिटिश बिलोचिस्तान का हमने यहां कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रतिनिधित्व का क्या तरीका है मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम है। योजना में केवल इतना ही कहा गया है कि सेक्शन 'बी' में ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक प्रतिनिधि बढ़ाये जायेंगे। क्या यह ठीक न होगा कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक प्रतिनिधि को इस परिषद् में निर्वाचित करने के लिए हम नियम बना दें। यह बात यहां नहीं कही गयी है कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के प्रतिनिधि यहां कैसे चुने जायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं आखिरी संशोधन का हवाला देता हूं। कमेटी ने

[श्री के.एम. मुंशी]

जान-बूझकर ब्रिटिश बिलोचिस्तान का उल्लेख दूर ही रखा है क्योंकि चुनाव सम्बन्धी एक दरख्वास्त पर अभी फैसला होना बाकी है और कमेटी नहीं चाहती थी कि वह ऐसी कोई बात कहे जिसका अनुकूल या प्रतिकूल असर इस मामले पर पड़े।

***एक सदस्य:** सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इस नियम को व्यवस्थापिका-सभा के गैर सरकारी सदस्यों तक ही सीमित रख सकते हैं मैं समझता हूं कि यह तो योजना की कार्य-सीमा के बाहर है। 25 मई वाले वक्तव्य में वे कहते हैं कि कुर्ग में समूची व्यवस्थापिका-सभा को मत देने का अधिकार होगा; परन्तु सरकारी सदस्यों को यह आदेश मिल जायेगा कि वे चुनाव में भाग न लें। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि व्यवस्थापिका-सभा के सरकारी सदस्यों पर हम यह प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यह सरकारी सदस्यों की मर्जी की बात है कि वे इस आदेश को माने या न माने।

***सभापति:** हम यह नियम बना देते हैं कि अब वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उनके लिए मत देना हम असम्भव बना देंगे।

सभापति ने समूचे नियम पर मत मांगा।

नियम (5) अपने संशोधित रूप में मंजूर हुआ।

नियम 6

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय तीन का शीर्षक और नियम 6 स्वीकार किया जायें।

***सभापति:** नियम 6(1) लिया जाता है। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

***श्री के. संतानम्:** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 6(2) में ये शब्द जोड़े जायें:

> ''मगर शर्त यह है कि जब इस असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सभापति नई दिल्ली से बाहर अन्यत्र इसकी कार्रवाई को संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं।''

मौजूदा सूरत में जल-वायु सम्बन्धी या अन्य कारणों से अगर कमेटी यह चाहे कि उसकी बैठक शिमला में हो तो एक प्रस्ताव द्वारा इसे समस्त सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभापति को अधिकार हो कि वह अपवाद रख सकें।

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। नियम कहता है ''असेम्बली का कार्यक्रम नई दिल्ली में संचालित होगा, यदि असेम्बली अन्यथा न तय करे''। यह फैसला करना असेम्बली का काम है कि कमेटियां और सेक्शन कहां समवेत होंगे। जब कार्यालय और संगठन यहां है तो किसी कमेटी के लिए यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वह पेशावर में बैठे?

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** मैं नहीं समझता कि ''असेम्बली की कार्यवाही'' केवल इतना ही कहना सेक्शनों की बैठक की व्यवस्था के लिए काफी है। मेरा प्रस्ताव है कि यह यों रखा जाये:

> ''असेम्बली की कार्यवाही जिसमें कमेटियों और सेक्शनों की बैठक भी शामिल है, नई दिल्ली में संचालित होगी।''

***सभापति:** संशोधन यह है:

> ''इसी असेम्बली का कार्यक्रम, जिसमें कमेटियां और सेक्शनों की बैठक भी शामिल है, नई दिल्ली में संचालित होगी।''

***श्री के.एम. मुंशी:** पर अनावश्यक है। यदि माननीय सदस्य 'कार्यवाही' (business) शब्द की परिभाषा देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उसमें कमेटियों और सेक्शनों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। हम चाहते है कि सारी कार्यवाही नई दिल्ली में संचालित हो जब तक कि असेम्बली अन्यथा तय न करे।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): जब श्री मुंशी ने नियम 6 (1) को पेश किया था तो उन्हें हमें यह बात बता देनी चाहिए थी कि कमेटी अपने निर्णय पर कैसे पहुंची। मैं देखता हूं कि स्टीयरिंग कमेटी और स्टाफ एंड फाइनेंस कमेटी के सदस्यों की संख्या स्थिर कर ली गई है।

उन्हें हमको यह बताना चाहिए कि कमेटी में क्या हुआ। उन्हें हमको यह बात बतानी चाहिए कि एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या कहीं क्यों नहीं दिखाई गई है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के 19वें और 20वें खंडों के अनुसार ऐसा होना चाहिए। कैबिनेट मिशन कहता है कि एडवाइजरी कमेटी का चुनाव प्रारम्भिक अधिवेशन में होगा। मैं समझता हूं कि इसका चुनाव जनवरी के स्थगित अधिवेशन में होगा। मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी ने एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की संख्या क्यों नहीं निर्धारित की?

***सभापति:** कुछ कमेटियां ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था स्वयं वक्तव्य में है। इन्हीं कमेटियां में एडवाइजरी कमेटी भी एक है। कुछ ऐसी कमेटियां हैं जिनका सुझाव नियमों में आया है और इन कमेटियों की संख्या नियमों में दिखा दी गई है पर वक्तव्य में बताई हुई किसी कमेटी की संख्या तो उस समय निर्धारित की जायेगी जब सभा उसका चुनाव करेगी।

***श्री बी. दास:** इसका मतलब यह हुआ कि सभापति किसी सदस्य को कहेंगे कि वह कमेटी की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश करे।

***सभापति:** असेम्बली में हम लोग इस बात पर विचार करेंगे और एडवाइजरी कमेटी और अन्य कमेटियों की संख्या निर्धारित कर लेंगे।

***श्री बी. दास:** तो फिर मुझे सभापति की ओर से इस बात का आश्वासन मिलता है कि प्रस्ताव की शक्ल में यह बात सभा के सामने लाई जायेगी और सभा पर अपना निर्णय करेगी।

***सभापतिः** अवश्य। एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की संख्या यह सभा स्थिर करेगी। खंड (2) पर कोई संशोधन नहीं है और अब हम खंड (3) पर आते है। क्या इस पर कोई संशोधन है?

***सदस्यगणः** नहीं।

***एक सदस्यः** मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय एक बात स्पष्ट कर दें। मान लीजिए सेक्शन के सभापति इस सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के प्रतिकूल कोई निर्णय देते हैं तो फिर इस सूरत से बचाव क्या है?

***श्री के.एम. मुंशीः** कठिनाई की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। जब-जब वह स्थिति आयेगी तो हम उससे बचाव का रास्ता सोचेंगे।

***सभापतिः** तो मैं समूचे नियम पर मत लेता हूं।

नियम 6 स्वीकृत हुआ।

नियम 7

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि यह नियम स्वीकार किया जाये।

***श्री आर.बी. धुलेकर** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति जी, मेरा यह संशोधन है कि इस प्रस्ताव में शब्द इस प्रकार रखे जायें:

> ''असेम्बली भंग न की जायेगी'' शब्दों के बाद जो शब्द है ''जब तक कि सभा की समस्त संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव से ऐसा तय न हो'' ये हटा दिये जायें और उनकी जगह ये शब्द रखे जायें। ''जब तक कि भारत के लिए अन्तिम रूप से विधान न बन जाये।''

हम यह समझते हैं कि यह विधान-परिषद् एक ऐसी सर्वसत्ता सम्पन्न सभा है। जिसे समूचे देश के लिए विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसे मालूम है कि शासन विधान बनाने के लिए जहां-जहां पर इस प्रकार की विधान-समितियां बैठी हैं उन सबों को विपरीत अवस्थाओं का मुकाबला करना पड़ा है। और उन्हें राज्य-स्थान अर्थात् राज गृह में जगह नहीं मिली। जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि विधान बनाने वाली ऐसी एक सभा को टेनिस कोर्ट में बैठना पड़ा। मैं समझता हूं कि कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली ऐसी चीज नहीं है कि उसके दो-तिहाई सदस्य बैठकर यह कह दें कि अब हम घर जाते हैं, अब हम विधान नहीं बनाते। ऐसी बात कदापि नहीं हो सकती। भारतवर्ष के लोग सैकड़ों वर्ष से यह देख रहे थे कि हम भारतवर्ष पर स्वयं शासन करें और उसके लिए स्वयं शासन-विधान बनायें। समय आ गया कि अंग्रेज मजबूर हो गये और इस बात पर आ गये कि मजबूरन हमारे हाथ में इस बात की शक्ति दें कि हम अपना विधान बनायें। जब

हम वह विधान बनाने यहां आये तो अब हमारे मस्तिष्क में यह बात क्यों आये कि हम बिना विधान बनाये हुए घर लौट जायें और इस तरह लौट जायें कि यहां के दो-तिहाई सदस्य अगर किसी समय यह समझें कि अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमें ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, अथवा शायद यह विधान या यह गृह टूटने वाला है या कायदा या कानून बनाने में कोई नई अड़चन आ रही है, या शायद वायसराय यह हुक्म दे रहे हैं कि कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य अब यहां से निकाल दिये जायेंगे या हमारी नहीं सुनी जायेगी। या मुस्लिम लीग इस बात को कहे कि चूंकि हम नहीं बैठना चाहते, इसलिए आप भी विधान न बनायें या राजघरानों के बड़े-बड़े लोग, जिन्हें राजा और नवाब कहते हैं, यह कहें कि हम शामिल नहीं होते इसलिए आप विधान न बनायें। तो मैं समझता हूं कि यह दो-तिहाई का नियम जो रखा गया है वह इन्हीं कारणों से रखा गया है। आज मिस्टर एटली या चर्चिल इस बात को कहते हैं कि हम आपको शासन-विधान नहीं बनाने देंगे क्योंकि अगर आप शासन-विधान बनायेंगे, तो इस तरह से बनायेंगे कि उसके बनाने में हमारे दोस्त या ऐसे लोग जिन पर हमारा हाथ है, शामिल नहीं होंगे और इसलिए हम आपका शासन-विधान नहीं मानेंगे; तो मैं समझता हूं कि शायद यही ख्याल रख कर दो-तिहाई का मसला पेश किया गया है। अगर ऐसा है तो मेरा कहना है कि आप पीछे नहीं हट सकते। जो कुछ होना है वह हो। मैं आप से यह बात कहना चाहता हूं कि शासन-विधान बनाने के लिए जो सभा आज बनी है वह अब हिन्दुस्तान में दुबारा नहीं बन सकती। दो विधान-परिषदें नहीं हो सकती। यदि हमने इस बात का निर्णय कर लिया है कि भारतवर्ष स्वाधीन हो जाये और उसके लिए हम अपना शासन-विधान बनायें तो मेरा कहना है और यह कहने का मैं हक रखता हूं कि यही कांस्टीट्यूएंट असेम्बली देश के लिए आखिरी होनी चाहिए इसी कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य जब तक जीवित हैं या इसके सदस्य रहें और चाहे वे जेलखाने के अन्दर हों या बाहर, चाहे वे दूसरी दुनिया भेज दिये जायें, विधान बनावें। उनका कर्त्तव्य है कि वह भारत को आजाद करायें। इसलिए यह सुधार मैं आप के सामने पेश करता हूं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सदर साहब, धुलेकर जी ने तो तजबीज पेश की है वह एक अजीब-ओ-गरीब तजबीज है। यह तो उन्होंने इस तरह से रखा कि अब हम तय कर चुके हैं कि हम बैठे ही रहेंगे, जब तक काम न खत्म कर लें। लेकिन जो तजबीज है उसके माने उन्होंने नहीं समझे हैं। उसके माने यह है कि कोई बाहरी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती, उसको कोई External power dissolve नहीं कर सकती। असल बात यह है। हम क्या करें क्या न करें, यह हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि हम आप ऐसा नहीं करेंगे लेकिन आपकी असेम्बली खुद मिलकर इस कायदे को रद्द कर सकती है। आपका आज यह फैसला करना कि हम कभी dissolve (भंग) नहीं होंगे कोई माने नहीं रखता। आप जब चाहेंगे bare majority (केवल एक लघु बहुमत) से खुद अपने कायदे को बदल सकते हैं।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

सभापति महोदय, इस नियम का कुल उद्देश्य यह है कि कोई बाहरी सत्ता इस विधान-परिषद् को खत्म न कर सके और न केवल आकस्मिक बहुमत ही ऐसा कर सके। इस सम्बन्ध में परिषद् को अधिकार है कि वह जैसा चाहे फैसला करे और स्पष्ट है कि आप परिषद् से यह अधिकार नहीं छीन सकते हैं दो-तिहाई काफी बड़ी संख्या है और सभा को यदि इस बात का ध्यान हो कि यह समूची संख्या का दो-तिहाई है तो अवश्य ही यह बहुत बड़ी रोक है। धुलेकर की कल्पना का झुकाव नर्मी की ओर है परन्तु साथ-ही-साथ यह क्रांतिकारी ढंग का भी हो सकता है। हो या न हो पर इसका झुकाव दोनों तरफ है। इसलिए मिस्टर धुलेकर की दलील की सारी बुनियाद गलत है। उन्होंने सारी बात को गलत समझा है। नियम का अभिप्राय यही है कि कोई बाहरी सत्ता सभा के कार्य में हस्तक्षेप न कर सके और उसे खत्म करने का हक स्वयं इस सभा को प्राप्त हो।

***श्री पी.आर. ठाकुरः** बाहरी शक्ति से आपका क्या मतलब है? आप तो स्वयं अपने को सर्वसत्ता सम्पन्न सभा मानते हैं और फिर भी बाहरी सत्ता का भय आपको बना हुआ है। मैं कहता हूं यह आपकी कमजोरी है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** माफ कीजिए मैंने आपका सवाल समझा नहीं। 'बाहरी शक्ति' मैं सैकड़ों चीजें आ सकती हैं मसलन सेनाएं, वायसराय, भारत-मंत्री, या हकूमतें वगैरह। सर्वसत्ता सम्पन्न अधिकारी कौन है इस प्रश्न पर बड़ा उलझाव है। कभी-कभी शब्दों का प्रयोग फैले हुए अर्थ में किया जाता है। स्पष्ट है कि हम उसी अर्थ में सत्ता-सम्पन्न नहीं हैं जिस अर्थ में एक राज्य होता है। हम सत्ता-सम्पन्न हैं पर कुछ पाबन्दियों को लेकर जिनके अनुसार हम आज अपना कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ पाबन्दियों तो बाहरी हैं और कुछ अन्दरूनी। पर इन पाबन्दियों के बावजूद भी कोई इस असेम्बली को खत्म नहीं कर सकता। सिवा बलप्रयोग के और किसी तरह इसे कोई नहीं हटा सकता। इस हालत में हम जो चाहें कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक कि और कोई प्रबलतर शक्ति हमें गतिहीन न बना दे। यह बात तो किसी सर्वाधिकार पूर्ण राज्य के साथ भी हो सकती है।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं यह सुझाव दूंगा कि डॉक्टर नेहरू द्वारा सुझाये गए दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम यह निश्चय करें कि यह असेम्बली तभी खत्म हो सकती है जब सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव ऐसा आदेश दे अन्यथा नहीं। *(हंसी)*

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): मैं इस खंड में 'whole' शब्द की जगह 'total' शब्द रखना चाहता हूं। ऐसे ही प्रसंग में और इसी अर्थ का यह शब्द नियम 15 मैं भी आया है। यह अधिक उपयुक्त है।

***श्री के.एम. मुंशीः** सिवा अन्तिम संशोधन के अन्य सभी संशोधन को मैं नामंजूर करता हूं। आखिरी संशोधन को लेकर सभा के कई हल्कों की ओर से

कुछ सवाल उठाये गये हैं। 'whole' शब्द और कतिपय विधानों में भी प्रयुक्त हुआ है और इसी कारण इसका प्रयोग किया गया है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** क्या यह 'total' के माने में है?

***श्री के.एम. मुंशी:** 'whole' का और कोई मतलब नहीं हो सकता। अवश्य ही इसका अर्थ है 'टोटल'। जैसा मैंने बताया है यह शब्द कतिपय विधानों से लिया गया है। परन्तु अभी भी अगर आप 'टोटल' पसन्द करते हों.....

***दीवानबहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** 'टोटल' शब्द अधिक सुन्दर मालूम पड़ता है और मैं सुझाव दूंगा कि 'टोटल' ही स्वीकार किया जाये।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं सर अल्लादी कृष्णास्वामी की सलाह मानता हूं। और 'टोटल' शब्द को मंजूर करता हूं।

***सभापति:** एक और संशोधन श्री धुलेकर ने रखा था। उसका क्या हुआ?

***श्री के.एम. मुंशी:** पंडित नेहरू ने उसके सम्बन्ध में कारण बताये थे और मैं उनके तर्कों को दुहराना नहीं चाहता। मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं।

***सभापति:** जो लोग उस संशोधन के पक्ष में हों हाथ उठायें। *(केवल चार सदस्यों ने हाथ उठाये)* जो उसके विरुद्ध हो हाथ उठायें।

मैं समझता हूं कि विरोधियों की संख्या देखते हुये यह संशोधन गिर गया।

नियम 7 अपने संशोधित स्वरूप में स्वीकृत हुआ।

नियम 8

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 8 स्वीकार किया जाये।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** क्या मैं अपना वह संशोधन पेश करूं जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं? मेरा संशोधन यह है कि नियम में ''Permission'' शब्द की जगह ''Consent'' शब्द रखा जाये। असेम्बली के प्रेसीडेंट के सिलसिले में ''Permission'' से 'Consent' शब्द बेहतर है।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** नियम में यह व्यवस्था है कि प्रेसीडेंट बिना असेम्बली की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक काल के लिए इसकी बैठक स्थगित नहीं करेंगे। शाम को 5 बजे हो सकता है कि प्रेसीडेंट सभापति के आसन पर न हों और कोई दूसरे व्यक्ति चेयरमैन हों। यहां इस बात की व्यवस्था नहीं रखी गई है कि चेयरमैन दूसरे दिन की बैठक स्थगित रख सकें और इस

[श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर]

हालत में दूसरे दिन इस असेम्बली की बैठक नहीं हो सकती। नियम के प्रथम भाग के अनुसार दिन नियत करने का अधिकार प्रेसीडेंट को है। और फिर नियम कहता है कि प्रेसीडेंट बिना सभा की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक के लिए बैठक स्थगित नहीं करेंगे। नियम 2 कहता है कि ''असेम्बली समूची सभा को समिति के रूप में बैठने का निर्णय कर सकती है'' नियम 10 कहता है ''असेम्बली की बैठक प्रातः 11 बजे प्रारम्भ होगी.....।''

***सभापतिः** अभी हम नियम 8 पर विचार कर रहे हैं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** नियम 10 तो मैं इस बात को बताने के लिए पढ़ रहा हूं कि रोजमर्रा की कार्रवाई को स्थगित रखने के लिए कोई व्यवस्था रखनी चाहिए अन्यथा ऐसा कोई साधन अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे दूसरे दिन की बैठक के लिए सदस्य बुलाये जा सकें। आपको इसकी उपयुक्त व्यवस्था नियम 8 या 10 में मिल सकती है। मेरा सुझाव है कि हम इस बात की एक और व्यवस्था कर दें कि किसी बैठक के चेयरमैन दूसरे दिन प्रातः 11 बजे तक के लिए बैठक को स्थगित कर सकें। यह व्यवस्था जरूर जोड़ देनी चाहिए अन्यथा इस नियम में त्रुटि रह जाती है।

***श्री के.एम. मुंशीः** इस तरीके से नियम बनाने का कुल उद्देश्य यह है कि जहां तक कार्यपद्धति के इस भाग का सम्बन्ध है प्रेसीडेंट ही कार्यवाही का नियंत्रण करें और वह चेयरमैन पर न छोड़ी जाये। नियम का पहला हिस्सा कहता है:

> ''असेम्बली की बैठक उन तारीखों पर हुआ करेगी जिनको प्रेसीडेंट असेम्बली की कार्य-स्थिति देखते हुए समय-समय पर नियत करेंगे।''

मान लीजिए चेयरमैन ही अध्यक्ष है फिर भी जहां तक तिथि नियत करने का सम्बन्ध है उसे प्रेसीडेंट ही नियत करेंगे। इसलिए स्थगित करने का अधिकार केवल प्रेसीडेंट को ही दिया गया है और प्रेसीडेंट को अधिकार है कि वह अपना कार्य वाइस प्रेसीडेंट को सौंप दें।

***श्री के. सन्तानम्:** 5 बजे हो सकता है कि चेयरमैन ही सभापतित्व करते हों। वह अवश्य यह कह सकते हैं कि ''मैं कल प्रातः 11 बजे के लिए सभा स्थगित करता हूं''।

***श्री गोविंद मालवीय** (यू.पी. : जनरल): क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि बजाय इसके कि हम विस्तार में जायें केवल इतना ही कहें कि नियम के पहले हिस्से में तारीख नियत करने के अधिकार पर विचार किया गया है और दूसरे हिस्से मैं बैठक स्थगित करने के अधिकार पर विचार किया गया है। हम नहीं चाहते कि प्रेसीडेंट से पहला अधिकार छीन लिया जाये पर हम केवल इस बात को पक्का कर लेना चाहते हैं कि जहां तक बैठक को स्थगित करने की बात है, कार्य-संचालन में कोई कठिनाई न आयेगी। मेरा सुझाव है कि ये शब्द जोड़ दिये जायें:

''प्रेसीडेंट या उनका स्थानापन्न कोई व्यक्ति'' इसमें चेयरमैन भी आ जायेंगे। या कोई सदस्य जो अस्थायी रूप से सभापतित्व करते होंगे, वह भी आ जायेंगे।

***श्री के.एम. मुंशी:** व्याख्या के अनुसार 'चेयरमैन' शब्द में वह भी शामिल है जो असेम्बली का सभापतित्व करता हो। मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं और इसका स्वरूप यों होगा:

> ''मगर आगे शर्त यह है कि चेयरमैन बैठक को दूसरे working day (काम के दिन) के लिए स्थगित कर सकते हैं।''

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि इस फिकरे—State of business of the Assembly—में से state of निकाल दिया जाये? ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़ते हैं।

***श्री के.एम. मुंशी:** ''State of business''और ''business'' दोनों एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। सभा के सामने क्या काम है, कार्य-स्थिति क्या है यह तो हुआ ''State of business'' पर ''business'' (कार्यवाही) उससे भिन्न है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** यदि प्रस्तावक मेरा संशोधन नहीं मंजूर करते हैं तो सभापति जी, मैं इसके लिए आग्रह नहीं करता।

***श्री देवीप्रसाद खेतान** (बंगाल : जनरल): बैठक स्थगित करने के सम्बन्ध में जो संशोधन था उसे श्री मुन्शी ने मंजूर किया है। इसको देखते हुए नियम 10 के सिलसिले में इस नियम की क्या हैसियत रहती है?

***श्री के.एम. मुंशी:** वह तो कार्यवाही को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में है न कि स्थगित करने के सम्बन्ध में। नियम 10 इस बात का विचार करता है कि असेम्बली की कार्यवाही किस समय शुरू हो।

नियम 8 अपने संशोधित स्वरूप में पास हुआ।

नियम 9

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 9 मंजूर किया जाये।

नियम 9 मंजूर किया गया।

नियम 10

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 10 स्वीकार किया जाये।

नियम 10 मंजूर किया गया।

नियम 11

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 11 स्वीकार किया जाये।

***श्री एच.वी. कामतः** बड़ी ही अनिच्छा से मैं एक मौखिक संशोधन पेश करना चाहता हूं और नियम बनाने वाले विशेषज्ञों से क्षमा-याचना करता हूं। अंग्रेजी भाषा के संबंध में मेरा ज्ञान बड़ा ही सीमित है। जो भी हो बहुत डरते-डरते मैं यह सुझाव रखता हूं कि बजाय ''Orders of the day'' के हम 'Order of the day' रखें। मैं नहीं समझता कि 'Orders of the day' यह मुहाविरा सही है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): केन्द्रीय धारा-सभा में और अन्यत्र प्रायः ''Business of the day'' का प्रयोग किया जाता है। हमने यहां जो फिकरा रखा है वह सही है।

***श्री के.एम. मुंशीः** विलायत की लोकसभा (House of Commons) में इसी जुम्ले—'Orders of the day' का व्यवहार किया जाता है।

***सभापतिः** श्री मे की ''पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस'' नामक पुस्तक से मैं यही पाता हूं कि 'Orders of the day' का जुमला ही लिखा जाता है।

***श्री एच.वी. कामतः** लोक-सभा (House of Commons) के दस्तूर का हम क्यों अनुसरण करें? *(हंसी)*

***श्री आर.के. सिधवाः** श्रीमान्, नियम 11 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि कोई ऐसा मामला जो दैनिक कार्यक्रम (Orders of the day) में दर्ज न हो, उस पर बिना चेयरमैन की स्वीकृति के विचार नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि अगर उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या नोटिस की मांग करती हो तो सभा के लिए यह उचित न होगा कि वह बगैर नोटिस दिये केवल सभापति की अनुमति से मामले को विचारार्थ ले। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। प्रेसीडेंट को इस बात की जानकारी रहती है कि बाकी बचे हुए काम की क्या स्थिति है या जिस विषय पर विचार करना है उसका क्या महत्त्व है। इसलिए अगर प्रेसीडेंट के हाथ से यह अधिकार ले लिया गया तो बड़ी कठिनाई होगी। यह बहुत अच्छा होगा कि शब्द ज्यों-के-त्यों रहने दिये जायें।

***एक सदस्यः** श्रीमान्, क्या हम लोग जान सकते हैं कि संशोधन का स्वरूप क्या है?

***सभापतिः** संशोधन यह है कि नियम 11(2) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:

> ''अगर उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या इस बात की मांग करती हो कि नये विषय की पहले सूचना दी जाये तो वह विषय विचारार्थ नहीं लिया जायेगा''। मैं देखता हूं कि असेम्बली के नियमों में निम्नलिखित नियम भी आता है:
>
> ''जब तक कि नियमों या स्थायी आज्ञाओं में इसके विपरीत कोई आदेश

न हो, कोई भी काम जो दैनिक कार्यक्रम में नहीं रखा गया हो, बिना प्रेसीडेंट की अनुमति के किसी भी बैठक में न किया जायेगा''।

यहां उपस्थित सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** अध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** राय के लिए मैं नियम 11 को सभा के सामने रखता हूं।

नियम 11 स्वीकृत हुआ।

नियम 12

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 12 मंजूर किया जाये।

***श्री के. सन्तानम्:** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 12 (सी) में से ये शब्द हटा दिये जायें ''किसी संशोधन पर कोई संशोधन''। संशोधन पर संशोधन बड़ा पेचीदा काम है। मूल प्रस्ताव में पहले संशोधन शामिल करना पड़ता है और फिर दूसरा संशोधन शामिल करना पड़ता है। केवल प्रस्ताव और संशोधन रहने चाहिएं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** अभी-अभी मैंने एक संशोधन रखा था और उस पर मेरे मित्र ने एक संशोधन पेश किया था। उनका वह संशोधन एक संशोधन पर ही था। अब वह चाहते हैं कि यह दस्तूर बिलकुल बंद कर दिया जाये। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी आपत्ति उठा लें।

अब मुझे नियम 12 (बी) में एक सुनिश्चित संशोधन रखना है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक न होगा कि कमेटी की रिपोर्ट शामिल की जाये। कमेटी की रिपोर्ट पर तब विचार किया जायेगा जब इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश हो। प्रस्ताव मौलिक होना चाहिए। मेरा संशोधन है कि नियम 12 (ए) प्रस्ताव (motion) की जगह मौलिक प्रस्ताव (original motion) रखा जाये।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): मैं उसका विरोध करना चाहता हूं क्योंकि वह जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव आने पर ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाये। कमेटी कोई रिपोर्ट तैयार कर सकती है और वह असेम्बली के सामने पेश की जा सकती है। रिपोर्ट का पेश किया जाना भी उसका एक भाग है।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं सर एन. गोपालस्वामी से सहमत हूं कि यह जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव के जरिये ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं नियम 12 पर मत लेता हूं।

नियम 12 मंजूर किया गया।

नियम 13

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 13 स्वीकार किया जाये।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रांत : जनरल): क्या मैं यह संशोधन पेश कर सकता हूं कि 'शाम को 5 बजे' इन शब्दों के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें— ''रविवार और अन्य आम छुट्टी के दिनों के अलावा''। मैं कारण बता चुका हूं और समझता हूं कि सभा उसे स्वीकार करेगी।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

***श्री के. सन्तानम्:** समय की बचत के लिए मैं इस बात पर राजी हूं कि खंड (4) में नोटिस के लिए दो दिन और एक पूरा दिन नोटिस घुमाने के लिए रखा जाये ताकि खंड यों पढ़ा जा सके कि तीन दिन की जगह दो पूरे दिन नोटिस के लिए दिये जायें। तदनुसार मंत्री प्रस्ताव की नकल सदस्यों के पास उसे पेश होने के कम-से-कम एक दिन पहले भेज देंगे और दूसरे मामलों में जहां तक हो सके नोटिस पाते ही उसकी नकल सदस्यों के पास भेज देंगे।

***अध्यक्ष:** जो लोग तीन दिन के बजाय दो दिन के और दो दिन के बजाय एक दिन के पक्ष में हैं वह हाथ उठायें..... *(बहुत से सदस्यों ने हाथ उठाये)* कोई विरोध में भी है? *(कोई नहीं)*

संशोधन मंजूर हुआ।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई:** खंड (3) में बजाय 'On the next opening day' आगामी अधिवेशन के दिन मैं चाहता हूं 'On the next working day' आगामी कार्य करने के दिन रखा जाये।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** उपखंड (5) में और तजबीजों का भी जिक्र है, यानी ऐसी तजवीजों का जिनके बारे में अन्यथा अध्यक्ष आदेश देते या ऐसी तजवीजें जो उपखंड (5) (ई) के अनुसार अध्यक्ष की राय में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और जिन पर शीघ्र विचार करना चाहिए। इन तजवीजों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इनकी सूचना भी उतने दिन पहले दी जाये जितने दिन पहले साधारणत: दी जाती है। जो बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि माना कि इसके लिए सूचना की जरूरत नहीं है पर संशोधन के लिए समय की अवधि कैसे निर्धारित की जायेगी और उसे कौन निर्धारित करेगा?

***श्री के.एम. मुंशी:** माननीय सदस्य शायद यह बात पूछते हैं कि अगर अध्यक्ष ने किसी प्रस्ताव को बहुत महत्त्वपूर्ण माना तो क्या उसकी भी सूचना जरूरी है? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव का महत्त्व क्या है और उसके लिए शीघ्रता की कैसी आवश्यकता है। अध्यक्ष का आदेश प्रतिबंध से परे ही रहेगा।

***श्री रामनारायण सिंह** (बिहार : जनरल): उपखंड (5) में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। क्या यह सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर विचार करने के लिए असेम्बली को स्थगित करने की व्यवस्था तो नहीं करता? भिन्न-भिन्न धारा-सभाओं के नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि सरकार की आलोचना या निन्दा की जा सके। परन्तु इस तरह की व्यवस्था यहां नहीं है।

नियम 13 संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

नियम 14

***अध्यक्ष:** आगे का नियम नं. 14 काम-रोको प्रस्ताव को पेश करने का हक रद्द करता है।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 14 स्वीकार किया जाये।

नियम 14 मंजूर हुआ।

नियम 15

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 15 स्वीकार किया जाये। नियम 15 के सम्बन्ध में सभा के बहुत से सदस्यों ने मुझसे कहा है कि उसमें शर्त वाला खंड विवादास्पद है और उसमें समय लग सकता है। मेरा सुझाव है कि सभा नियम 15 के और हिस्सों को मंजूर करे और शर्त वाले खंड को अभी छोड़ दे। साधारण नियमों को तय कर लेने के बाद हम उस पर विचार करेंगे।

***अध्यक्ष:** 5 बज चुके हैं। अब सभा समाप्त होती है और कल प्रात: 11 बजे पुन: समवेत होगी।

इसके बाद सभा रविवार, 22 दिसम्बर सन् 1946 ई. के 11 बजे के लिए स्थगित हुई।